अप्रैल-मई, संयुक्तांक 2019

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक
श्री कमलेश्वर पटेल
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास

प्रबंध सम्पादक
उर्मिला शुक्ला

समन्वय
म.प्र. माध्यम

परामर्श
अशोक कुमार चौहान
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

5 ▸ देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश में वर्चुअल प्रशिक्षण

8 ▸ आदर्श ग्राम पंचायत एवं नवाचार

14 ▸ ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन भुगतान व प्रिया सॉफ्ट

17 ▸ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

18 ▸ संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय

20 ▸ सतत विकास लक्ष्य

23 ▸ ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना

25 ▸ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बेहतर परिणामों के लिए प्रदर्शन आधारित भुगतान समिति द्वारा सिफारिशों का सारांश

12 ▸ मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993

29 ▸ ग्राम पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचएजीएच) नेटवर्क के बीच साझेदारी के लिए दिशा-निर्देश

36 ▸ मध्यप्रदेश में ग्राम सभा के सशक्तिकरण के प्रयास

42 ▸ सेटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से पंचायतराज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण

43 ▸ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (RGSA) अंतर्गत पंचायत कार्यपालिक अमले का वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षण

46 ▸ ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत स्वयं सहायता समूह का अभिसरण

47 ▸ ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण आयोजन हेतु पंचायत-एसएचजी का अभिसरण पर परामर्शिका के संबंध में

चिट्ठी-चर्चा

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का मार्च 2019 अंक पढ़ा। मध्यप्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के जरिये ग्रामीणों के उत्थान के लिये लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी संबंध में भोपाल में पंचायतराज प्रतिनिधियों एवं स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन के लिये कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला की विस्तृत जानकारी पंचायिका में प्रकाशित की गई है। इस कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किये। यह एक अनुकरणीय प्रयास है। इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिये। इस कार्यशाला की जानकारी पढ़कर अन्य पंचायत प्रतिनिधि भी बेहतर कार्य करने के लिये प्रेरित होंगे।

- बिन्दु श्रीवास्तव
जबलपुर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित मार्च अंक पढ़ा। इस अंक में महिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों की जानकारी प्रकाशित की गई है। इन महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने काम से बताया है कि ग्रामीण विकास में महिला पंचायत प्रतिनिधियों का भी अहम योगदान है। मध्यप्रदेश में अब ग्रामीण महिलायें भी स्वावलंबी बन रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण से ही समृद्ध मध्यप्रदेश का आधार बनेगा। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिये।

- पवन सिसोदिया
विदिशा (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का मार्च अंक देखा। पंचायिका में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों में किये जा रहे विकासात्मक कार्यों की जानकारी को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है। यह जानकारियाँ ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिये मार्गदर्शन करती हैं। पंचायिका में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों की सफल गाथा भी छापी जाती है, जो कि अन्य लोगों को प्रेरित करती है। आशा है कि मध्यप्रदेश पंचायिका आगे भी ग्रामीणों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहेगी।

- संदीप साहू
सीहोर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का मार्च माह का अंक पढ़ा। इस अंक में पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाशित की गई है। इसके अलावा पत्रिका में विभाग द्वारा जारी किये गये विभिन्न आदेशों और परिपत्रों का प्रकाशन भी किया गया। ये आदेश और परिपत्र पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों से अवगत तो कराते ही हैं, साथ ही उनका मार्गदर्शन भी करते हैं।

- अंकुर राय
भोपाल (म.प्र.)

कमलेश्वर पटेल
मंत्री

प्रिय पाठको,

जैसा कि आप जानते हैं सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पंचायतों की कार्यप्रणाली और गतिविधियों को करीब से देखते-समझते आपको अनुभव हो गया है कि हर दिन कुछ नया सीखते हैं। नई-नई परिस्थितियां बनती रहती हैं । उन्हें नियंत्रण करना, उनसे निपटना और उन्हें लोकहित में अनुकूल बनाना एक नया अनुभव होता है। इस दृष्टि से प्रशिक्षण को हमने हमेशा महत्व दिया है। भविष्य में भी यह निरंतर जारी रहेगा।

प्रशिक्षण के संदर्भ में आपसे यही अपेक्षा है कि आपने जो सीखा है उसे अपने साथियों के साथ भी साझा करें। पंचायतों को सशक्त तभी बनाया जा सकता है जब उनमें काम करने वाला अमला सशक्त बने। वर्चुअल प्रशिक्षण पहली बार मध्यप्रदेश में हुआ। आपकी भविष्य की गतिविधियों और पंचायतों की कार्यप्रणाली में आये सकारात्मक बदलाव से पता चलेगा कि प्रशिक्षण का क्या प्रभाव हुआ।

मैं चाहूंगा कि पंचायत कार्यालयों के प्रबंधन पर आप विशेष ध्यान दें। विकास के कार्यों में हमारी बढती भूमिका को देखते हुए कार्यालय प्रबंधन बेहद जरूरी हो गया है। अपनी-अपनी पंचायतों की हर गतिविधि का रेकार्ड रखें। किसी कार्य या गतिविधि में मिली असफलता से घबरायें नहीं और न ही पीछे हटें। असफलता एक प्रकार की सीख होती है। यह कोई स्थाई चीज नहीं है।

मेरी आपसे अपेक्षा है कि आपकी पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में पहचानी जाये। इसके लिये पहले आप सेवाओं के प्रदाय की हर व्यवस्था पर निगरानी रखें। इस बात की चिंता करें कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने से कोई जरूरतमंद हितग्राही छूट नहीं जाये।

हम पंचायतों में नवाचारी विकास कार्यों और प्रक्रियाओं को आगे बढा रहे हैं। नवाचारी विकास कार्य लोगों की आपसी सहमति और सहयोग से ही संभव हो पाते हैं। सामान्यत: देखा गया है कि हम जिन्हें नवाचार कहते हैं वह सिर्फ उसी पंचायत में सीमित हो जाता है जो उसे लागू करती है। अन्य पंचायतों में उसे स्वीकार करना मुश्किल होता है। इसलिये जरूरी नहीं कि हमारा हर नवाचार एक समान हो क्योंकि सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न होती हैं। इसलिये समस्याओं के समाधान के नये-नये तौर-तरीकों पर निरंतर सोचते रहना चाहिये। लोगों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। आपने प्रशिक्षण में जो सीखा है उससे आपको यह अनुमान हो गया होगा कि पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के अलावा लोगों के पास भी जीवन के अपने गहरे अनुभव होते हैं जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। तकनीकी और प्रशासनिक ज्ञान तभी अर्थपूर्ण होता है जब उसमें लोक अनुभव का मिश्रण हो। इसलिये लोगों को महत्व देते हुए उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा।

(कमलेश्वर पटेल)
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मध्यप्रदेश शासन

उर्मिला शुक्ला
संचालक

प्रिय पाठको,

हम सभी जानते हैं कि देश के विकास के लिए भारत के गांवों का विकसित होना आवश्यक है। इसीलिए ग्रामीण भारत के विकास के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को अमल में लाया गया ताकि स्थानीय स्तर पर विकास हो सके। पंचायती राज व्यवस्था के सक्रिय स्वरूप में क्रियान्वयन के लिए श्रृंखलाबद्ध प्रयास किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में सतत विकास के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

लम्बे समय से एक आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि हमारी पंचायतों के कार्यालय की व्यवस्था कुछ इस तरह विकसित हो कि ग्राम पंचायत एक यूनिट के रूप में दिखाई दे। जिसमें कार्यालय रख-रखाव से लेकर कार्यालय प्रबंधन तक का प्रभावी क्रियान्वयन हो। ताकि पंचायतों की उत्कृष्ट छवि निर्मित हो सके। पंचायतें अनावश्यक कार्यवाही के दबाव से मुक्त होकर पारदर्शितापूर्ण कार्य कर सकें।

माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की संकल्पना और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल जी के मार्गदर्शन से मध्यप्रदेश में सबसे पहले वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सम्पूर्ण प्रशिक्षण में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह के दिशा-निर्देश और सहयोग से लगभग 35 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण को केन्द्रीय पंचायत राज विभाग द्वारा सराहना प्राप्त हुई। हिमाचल प्रदेश ने मध्यप्रदेश में आयोजित वर्चुअल प्रशिक्षण की रणनीति और क्रियान्वयन की सम्पूर्ण जानकारी चाही है, ताकि इसे वे अपने प्रदेश में अमल में ला सकें।

वर्चुअल प्रशिक्षण के साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक ब्लॉक से पांच ग्राम पंचायतों को मॉडल पंचायत के रूप में विकसित किया जाये। यदि यह सम्भव हो गया तो वह दिन दूर नहीं जब समाज के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति सभी आवश्यक मूलभूत जानकारी और सुविधाओं को अपनी ग्राम पंचायत में ही प्राप्त कर सकेगा और तभी सार्थक होगी गांधी जी के ग्राम-गणराज्य की परिकल्पना।

दस अप्रैल 2019 से 25 अप्रैल 2019 तक दूरस्थ पद्धति से आयोजित इस प्रशिक्षण की सम्पूर्ण रिपोर्ट को हमने प्रशिक्षण स्तम्भ में प्रकाशित किया है। इसी अंक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, लक्ष्य और क्रियान्वयन पद्धति आदि की जानकारी भी ग्राम स्वराज स्तम्भ में प्रकाशित की जा रही है। यह जानकारी आपको कार्य करने के लिए मददगार साबित होगी।

आपके मार्गदर्शन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बेहतर परिणामों के लिए प्रदर्शन आधारित भुगतान समिति की सिफारिशों का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है।

स्व-सहायता समूह स्तम्भ में ग्राम पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क के बीच साझेदारी के लिए दिशा-निर्देश शामिल हैं। पंचायत गजट में ग्राम स्वराज अभियान के प्रशिक्षण से संबद्ध आदेशों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों में ग्राम पंचायत स्व-सहायता समूह का अभिसरण और ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण आयोजना हेतु पंचायत-एसएचजी का अभिसरण पर परामर्शिका के संबंध में निर्देश प्रकाशित किये जा रहे हैं।

इस अंक में इतना ही। पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(उर्मिला शुक्ला)
संचालक, पंचायत राज

देश में सबसे पहले
मध्यप्रदेश में वर्चुअल प्रशिक्षण

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना

मध्यप्रदेश, त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के लागू होने से क्रियान्वयन तक देश में अग्रणी राज्य रहा है। मनरेगा कन्वर्जेन्स, इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम, समग्र पोर्टल, पंचायत दर्पण पोर्टल, ई-मार्ग सहित प्रदेश ने विकास के कई नवाचार किए हैं, जिन्हें अन्य राज्यों में लागू किया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सक्रियता से त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में होने वाले विभिन्न विशिष्ट कार्यों और नवाचारों के लिए मध्यप्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। पंचायत राज व्यवस्था के अमल और क्रियान्वयन की इसी श्रृंखला में एक और नवाचार मध्यप्रदेश ने किया है, वह है- देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत वर्चुअल प्रशिक्षण प्रदान करना। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना अंतर्गत पंचायत राज संचालनालय द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण का क्रियान्वयन वाल्मी द्वारा आर.सी. व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के सहयोग से किया गया। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 410 वर्चुअल केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश के सभी 313 विकासखण्डों में पंचायती अमले और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के शुभारंभ अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह तथा संचालक पंचायत राज संचालनालय श्रीमती उर्मिला शुक्ला द्वारा मार्गदर्शन दिया गया।

10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चले इस वर्चुअल प्रशिक्षण में लगभग 35 हजार प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रदेश के सभी विकासखण्डों में सम्पन्न इस प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रदेश की सभी 22816 पंचायतों से प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रस्तुत है प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट -

देश में पंचायत राज व्यवस्था लागू होने के साथ ही सतत प्रयास रहा है कि इस व्यवस्था का सुचारु रूप से क्रियान्वयन हो और हितग्राहियों को लाभ पहुँचे। इसके लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर समय-समय पर विविध प्रयास किये गये हैं।

पंचायत राज व्यवस्था के संचालन और क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश में कई नवाचार हुए। इन नवाचारों को अन्य राज्यों में लागू भी किया गया।

क्रियान्वयन की इसी कड़ी में मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय द्वारा देश में पहली बार पंचायत के जमीनी स्तर के कर्मचारियों को बड़ी संख्या में सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थात् दूरस्थ पद्धति से प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश शासन, श्रीमती गौरी सिंह ने विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया। संचालक पंचायत राज श्रीमती उर्मिला शुक्ला ने प्रशिक्षण की आवश्यकता, व्यवस्था और उपयोगिता को लेकर मार्गदर्शन दिया।

कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत पंचायत राज संचालनालय के तत्वावधान में वाल्मी द्वारा आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के सहयोग से सम्पन्न किया गया।

प्रशासन अकादमी भोपाल के सेटकॉम सेन्टर के माध्यम से 10 अप्रैल, 2019 से 25 अप्रैल, 2019 तक दूरस्थ पद्धति से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग की अहम भूमिका रही। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रदेश भर में 410 वर्चुअल केन्द्र हैं। जहाँ उनकी वर्चुअल क्लासेस लगती हैं। इन्हीं केन्द्रों के माध्यम से सभी 313 विकासखण्डों में प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया। संपूर्ण प्रशिक्षण में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) तथा स्वान (SWAN) का तकनीकी सहयोग रहा। इस प्रशिक्षण में लगभग 35 हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत प्रकोष्ठ अधिकारी, जनपद पंचायत के सहायक लेखा अधिकारी, जनपद पंचायत के लेखापाल तथा सभी विकासखण्डों से खण्ड पंचायत अधिकारी, पंचायत समन्वयक और सभी 22816 पंचायतों से ग्राम पंचायत सचिव तथा रोज़गार सहायकों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण की रणनीति

प्रशिक्षण के लिए ग्राम पंचायतों में पदस्थ पंचायत समन्वयक के क्लस्टर अनुसार उस ग्राम पंचायत का समूह

कौन थे प्रतिभागी

- **पंचायत प्रकोष्ठ अधिकारी।**
- **सहायक लेखा अधिकारी।**
- **सभी 313 विकासखण्डों से खण्ड पंचायत अधिकारी।**
- **पंचायत समन्वयक।**
- **सभी 22816 पंचायतों के ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम रोज़गार सहायक।**

बनाया गया। प्रशिक्षण के एक सत्र में लगभग 45 से 50 लोगों की क्लासरूम में बैठकर एक साथ प्रशिक्षण लेने की व्यवस्था की गई।

इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि यदि क्लस्टर में 10 पंचायतें हैं तो दो क्लस्टर की ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक जिनकी संख्या लगभग 40 रही, उन्हें प्रशिक्षण सत्र के लिए आमंत्रित किया गया। एक जनपद पंचायत में शामिल पंचायतों के मान से सत्र आयोजित किये गए।

जनपद पंचायत स्तर के अधिकारी जैसे सहायक लेखाधिकारी, लेखापाल, खण्ड पंचायत अधिकारी एवं पंचायत समन्वयक प्रशिक्षण के प्रत्येक सत्र में उपस्थित रहे। उन्होंने प्रशिक्षण के अलग-अलग सत्रों में भाग लेने वाले ग्राम पंचायत सचिव तथा रोजगार सहायकों के प्रशिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को तुरंत दूर किया। प्रशिक्षण के दौरान यदि कोई ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक किन्हीं कारणों से नियत प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित नहीं हो सका तो सबसे अन्त में छूटे हुए लोगों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया।

सैटेलाइट व्यवस्था संबंधी आवश्यक तकनीकी सहयोग राज्य स्तर पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र मध्यप्रदेश द्वारा तथा खण्ड स्तर पर ई-गवर्नेन्स मैनेजर मेप-आई.टी. द्वारा प्रदान किया गया। सहायक प्रबंधक ई-गवर्नेन्स द्वारा प्रशिक्षण कक्ष अर्थात् वर्चुअल क्लास में आवश्यक तकनीकी यंत्रों के सुचारु रूप से काम करने की व्यवस्था को देखा गया तथा कस्टोडियन को आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को पंजीकृत करने के साथ फीड बैक फॉर्म वाल्मी में जमा किया गया। प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिदिन 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी दी गयी ताकि प्रशिक्षणार्थियों की सोच, समझ और प्रशिक्षण के परिणाम का आकलन किया जा सके।

● प्रस्तुति : रीमा राय

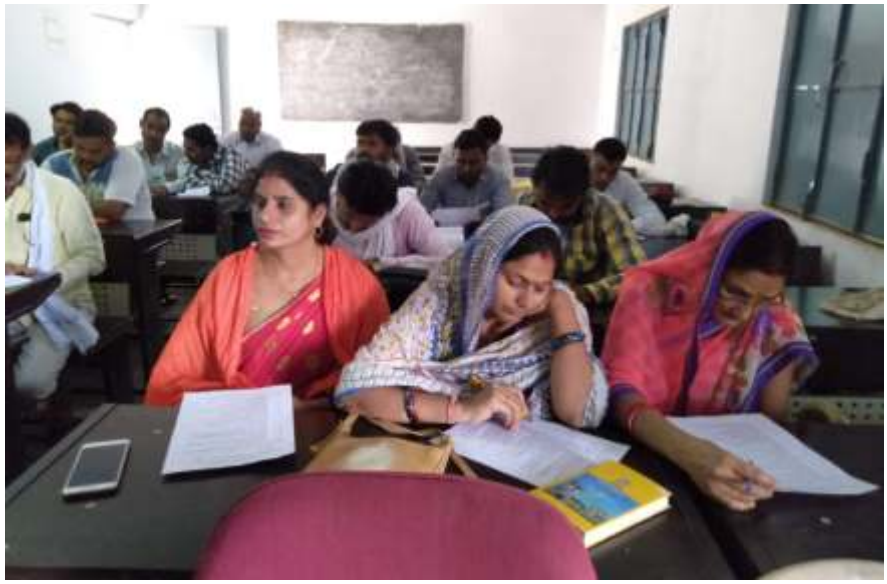

आदर्श ग्राम पंचायत एवं नवाचार

चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री प्रफुल्ल जोशी कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

श्री जोशी द्वारा आदर्श ग्राम पंचायतों की नवाचार पहल एवं ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण विषय पर जो मुख्य बिन्दु शामिल किये गये, वे हैं :-

- ग्राम पंचायतों के सचिव एवं रोजगार सहायकों का सशक्तिकरण।
- उत्कृष्ट एवं आदर्श ग्राम पंचायतों का कार्यालय प्रबंधन।
- प्रदेश की उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों के नवाचार।
- प्रदेश के बाहर उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों की सफलता की कहानी।
- पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्यकारी अमले के क्षमतावर्धन हेतु एक्सपोजर विजिट।

प्रशिक्षण की तिथियां और समय

10 अप्रैल 2019, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल 2019; समय : दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।

- त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं अमले के प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन की रणनीति।
- आदर्श ग्राम पंचायत (जी.पी.डी.पी.) के विभिन्न अवयव।
- ग्राम पंचायतों में करारोपण।

आदर्श ग्राम पंचायत के नवाचार को लेकर श्री जोशी ने बताया कि किस तरह हिवरे बाजार पंचायत ने समस्याओं का समाधान किया और आदर्श पंचायत बनी। आज यह पंचायत ग्राम जलग्रहण मिशन, जनभागीदारी एवं श्रमदान, संस्थानों का

विकास, विभिन्न योजनाओं के अभिसरण, ग्राम पंचायत कार्यालय प्रबंधन और करारोपण के लिये जानी जाती है। श्री जोशी ने हिवरे बाजार पंचायत की पूर्व तथा वर्तमान स्थिति की जानकारी भी दी।

श्री जोशी ने मध्यप्रदेश की एक और उत्कृष्ट पंचायत की सफल गाथा और विकास यात्रा को प्रस्तुत किया। वह पंचायत है दलौदा चौपाटी।

उन्होंने दलौदा चौपाटी की कचरे से कंचन, जैविक खाद निर्माण और अन्य नवाचारों की जानकारी प्रस्तुत की।

इसके अलावा उन्होंने इंदौर जिले की उत्कृष्ट पंचायतों- ग्राम पंचायत मोरोद और ग्राम पंचायत ग्वाली परासिया के नवाचारों को भी साझा किया।

श्री जोशी द्वारा गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत निर्माण के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की जानकारी दी गई। इस योजना के तहत ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय ग्राम पंचायत विकास योजना क्या है। इसकी आवश्यकता क्यों है और इससे किस तरह स्मार्ट पंचायत का निर्माण किया जा सकता है इस बारे में विस्तार से बताया।

आदर्श ग्राम पंचायत की अवधारणा और इसके विकास में ग्राम पंचायत विकास योजना की महत्ता, इसके लिए वातावरण निर्माण, आवश्यक संसाधन, रिसोर्स एनवलप तथा ग्राम पंचायत विकास योजना के घटकों की सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। साथ ही ग्राम पंचायत की भूमिका और जिम्मेदारी से भी अवगत कराया।

उन्होंने ग्राम पंचायत विकास योजना में चयनित पायलेट प्रोजेक्ट के तहत इन्दौर की 5 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजना की जानकारी चरणबद्ध स्वरूप में प्रस्तुत की।

विकसित ग्राम पंचायतों के क्रम में श्री जोशी ने पंजाब के गुरदासपुर जिले की जनपद धारीवाल की ग्राम पंचायत छिन्ना की विशेषताओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि छिन्ना ग्राम पंचायत ने सबसे अधिक करारोपण किया। पंचायत

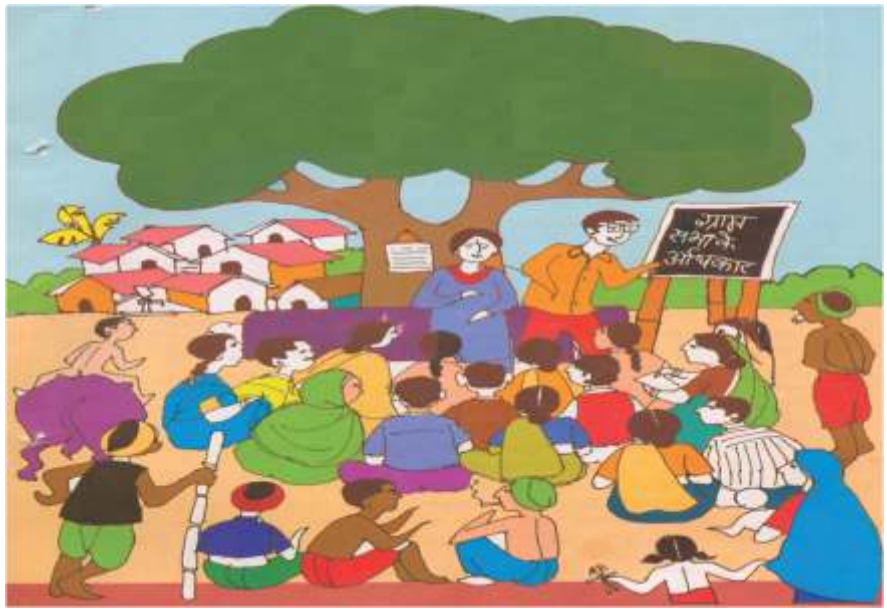

द्वारा सीवेज कर, जलकर, संस्थाओं से कर, दुकानों, तालाब व पौंड से सिंचाई, ग्रामीण अधोसंरचना के रख-रखाव, समारोह, स्ट्रीट लाइट या विज्ञापन के होर्डिंग लगाने आदि से कर लिया गया। इस प्रकार यह पंचायत 51,00,000 रुपये वार्षिक कर प्राप्त करती है।

ग्राम पंचायत द्वारा करारोपण से प्राप्त राशि को गाँव के विकास में, सामाजिक कार्यों, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं साफ-सफाई, कृषि प्रशिक्षण शिविर, रोजगार जागरूकता शिविर, अधोसंरचना निर्माण आदि कार्यों में लगाया जाता है।

श्री जोशी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की आदर्श ग्राम पंचायत पाटोदा की सफल गाथा के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित किया। पाटोदा में जल संरक्षण, संवर्धन और जल शुद्धिकरण के लिए विशेष कार्य किया गया है।

स्वच्छता के लिए कचरा पेटी, नियमित कचरे का संकलन, गीले-सूखे

कचरे को अलग कर कंपोस्ट खाद निर्माण की जानकारी दी गई।

इसके अलावा पंचायत द्वारा कर वसूली अभियान, सामाजिक सार्वजनिक कार्यों का आयोजन, कार्यालय में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जाना, डायरेक्ट सोलर कुकिंग सिस्टम, वृक्षारोपण और कुपोषण मुक्त आंगनवाड़ी आदि कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

● **प्रस्तुति : नवीन शर्मा**

सरपंच-सचिव की दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प से उचित कार्यालय प्रबंधन

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत सम्पूर्ण प्रदेश में आयोजित वर्चुअल प्रशिक्षण में डॉ. विनोद यादव, उप संचालक, पंचायतराज संचालनालय ने कार्यालय एवं लेखा प्रबंधन विषय पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। कार्यालय एवं लेखा प्रबंधन की विस्तृत जानकारी देते हुए श्री यादव ने सबसे पहले बताया कि कार्यालय वह स्थान है जहां संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सेवारत व्यक्तियों को विभिन्न कार्य आवंटित किये जाते हैं। कार्यालय प्रबंधन इस प्रकार से हो कि उपलब्ध संसाधनों और प्रक्रियाओं का सबसे बेहतर उपयोग अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये किया जा सके। श्री यादव ने प्रशिक्षण के मूल विषय कार्यालय प्रबंधन और लेखा प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी।

कार्यालय प्रबंधन स्वरूप- (1) अधोसंरनात्मक रूप; (2) प्रक्रियात्मक रूप और (3) अधोसंरचना स्वरूप।

प्रबंधन के अधोसंरचना स्वरूप में शामिल है- साफ-सुथरा न्यूनतम मूलभूत सुविधायुक्त भवन। भवन का प्लास्टर ठीक हो। पुट्टी भरकर अच्छे पेंट से पुताई की गयी हो, सभी खिड़की-दरवाजे सही हों और पेंट किये गये हों। फर्श पक्का और समतल हो, भवन से लगा बरामदा या चबूतरा भी हो। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय हो और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। बिजली की स्थाई व्यवस्था हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, कम्प्यूटर कक्ष हो। कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर चालू हालत में उपलब्ध हों। गर्मियों में ठंडक के लिए पंखे और कूलर उपलब्ध हों। भवन सुरक्षा की उचित व्यवस्था हों।

साफ-सुथरा न्यूनतम मूलभूत सुविधायुक्त भवन

कोई भी पंचायत तभी अच्छी पंचायत बन सकती है जब वह साफ-सुथरी हो और उसमें न्यूनतम मूलभूत

सुविधाएं उपलब्ध हों। ग्रामीणजनों के बैठने के लिए स्थान तथा कुर्सियां उपलब्ध हों, दिव्यांगजन के लिए बाधारहित वातावरण हो, भवन के बाहर पेड़-पौधे लगाए जाएं। भवन के किसी कमरे को विश्राम स्थल बनाया जा सकता है। ग्रामीण जनों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की जा सकती है।

प्रस्तुतीकरण के माध्यम से श्री यादव ने प्रदेश की कई पंचायतों और जनपदों में निर्मित किये गये भवनों और अन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी दी और यह भी बताया कि अच्छी अधोसंरचना निर्मित करने के लिए पैसा बाधक नहीं है। आवश्यकता है दृढ़ इच्छाशक्ति, उचित प्रबंधन और आयोजना निर्माण की।

श्री यादव ने कार्यालय व्यवस्थित करने के लिए राशि व्यय के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि व्यवस्थित कार्यालय सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, इससे पंचायत की छवि सुधरेगी, लोगों में विश्वास स्थापित होगा, पंचायत का आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक सुव्यवस्थित कार्यालय ग्राम पंचायत को स्थानीय इकाई के रूप में स्थापित करेगा।

व्यवस्थित कार्यालय प्रबंधन एक भाग है इसका दूसरा भाग कार्यालयीन प्रक्रिया है। कार्यालयीन प्रक्रिया में आवक-जावक पंजी, नोटशीट, फाइल, अनुमोदन, पत्र तथा आदेश और आवक-जावक पंजी शामिल है। यह प्रक्रिया पंचायत के लोकसेवक सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, भृत्य आदि द्वारा सम्पन्न होती है। कार्यशाला में प्रतिभागियों को मध्यप्रदेश पंचायत (सूचना तथा दस्तावेज की तामील की पद्धति) नियम, 1995 की जानकारी भी दी।

लेखा प्रबंधन

लेखा प्रबंधन की जानकारी देते हुए श्री यादव ने बताया कि लेखा प्रक्रिया में पंचायत निधि, आय-व्यय तथा परिणाम शामिल हैं। उन्होंने पंचायत निधि, एकल खाता, ग्राम पंचायत की निधि में शामिल शासकीय अनुदान, स्वयं की आय, ग्राम पंचायत निधि, ग्राम पंचायत के व्यय में सम्मिलित-पूंजीगत व्यय, स्थापना व्यय और व्यय परिणामों को अभिलेखों में दर्ज किये जाने की जानकारी प्रदान की। बैंक पासबुक, लेजर, प्राप्त रसीद, व्यय व्हाउचर्स, कैशबुक, परिसंपत्ति पंजी, स्टॉक पंजी के बारे में जानकारी देते हुए हुए यह भी बताया कि इन अभिलेखों का संधारण हमारी वैधानिक बाध्यता है। उन्होंने मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (लेखा) नियम 1999 की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पंचायत भवन की एक मूलभूत व्यवस्था होना आवश्यक है अन्यथा कार्यालय की अवस्था देखकर पंचायत की छवि कमजोर होती है। इसलिए अच्छे पंचायत भवन निर्मित हों और उसमें सभी आवश्यक अधोसंरचनात्मक मापदण्ड सुनिश्चित किये जायें।

श्री यादव ने प्रशिक्षणार्थियों को समझाया कि इस तरह की व्यवस्था निर्मित करने के लिए शासन के निर्देशों के साथ सरपंच और सचिव की इच्छाशक्ति, नेतृत्व और संसाधनों के उचित उपयोग की आवश्यकता है।

● **प्रस्तुति : विजय देशमुख**

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत वर्चुअल प्रशिक्षण में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 विषय पर रिसोर्स पर्सन वाल्मी श्री जी.पी. अग्रवाल द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रस्तुत है श्री अग्रवाल द्वारा प्रशिक्षण के दौरान दी गई जानकारी का विवरण :

24 अप्रैल, 1992 को 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992, सांसद द्वारा पारित किए जाने पर पूरे देश में प्रभावशील हुआ। इस संविधान संशोधन के पश्चात देश के प्रत्येक राज्य को इसके अनुच्छेद में दर्शायी गई व्यवस्था के अनुरूप राज्यों को अपने-अपने राज्य के लिए पंचायत अधिनियम बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, पंचायत में स्थानों का आरक्षण, पंचायतों का कार्यकाल, पंचायत में सदस्यता के लिए अर्हताएं, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, पंचायतों को कर अधिरोपित करने की शक्ति, वित्तीय स्थिति के लिए वित्त आयोग का गठन, पंचायतों की लेखा संपरीक्षा एवं पंचायतों के निर्वाचन के प्रावधानों का समावेश किया गया।

उपरोक्त के अनुसार राज्य में प्रदेश के लिए म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 का गठन किया गया। 25 जनवरी, 1994 को प्रदेश के पंचायत अधिनियम का प्रथम बार प्रकाशन प्रदेश के राजपत्र में किया गया जिसके परिणामस्वरूप इस दिनांक से म.प्र. पंचायत राज अधिनियम पूरे प्रदेश में प्रभावशील हो गया। इस अधिनियम में कुल 15 अध्याय एवं 132 धाराएं स्थापित की गईं।

प्रदेश के पंचायत अधिनियम में 1997 में दो प्रमुख संशोधन किये गये जिसके परिणामस्वरूप अध्याय 6क कॉलोनी निर्माण का नया जोड़ा गया। जिसमें 9 नई धाराएं जोड़ी गईं। दूसरा संशोधन अध्याय 14क अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध जोड़ा गया। इस संशोधन में 6 नई धाराएं जोड़ी जाकर पंचायतों में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कुछ नये प्रावधान जोड़े गये जिसके अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य, ग्राम पंचायत के कृत्य, पंचायतों में स्थानों का आरक्षण आदि प्रावधान जोड़े गये।

अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा का गठन व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रूढ़ियों की सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रखने आदि की शक्तियां भी प्रदान की गईं। ग्राम के प्राकृतिक स्त्रोतों भूमि, जल, वन का प्रबंध, ग्राम के मेलों एवं बाजारों, पशु मेलों की व्यवस्था के अधिकार इस क्षेत्र की पंचायतों को सौंपे गये।

अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों में पंचायतों के प्रमुखों के स्थान अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सुरक्षित किये गये, ग्राम सभा की बैठक में सरपंच, उपसरपंच अथवा पंच को छोड़कर अन्य व्यक्ति जिसे उस दिन के सम्मिलन के लिए सभापति चुना जाए उसके द्वारा सम्मिलन की अध्यक्षता करने का प्रावधान भी किया गया।

प्रदेश के पंचायत अधिनियम में तीसरा बड़ा संशोधन जनवरी, 2001 में किया गया। जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा अध्याय में 15 नई धाराएं जोड़ी गईं। जिसमें ग्राम सभा की बैठकें, स्थायी समितियों का गठन, ग्राम सभा की शक्तियाँ, ग्राम कोष, बजट, लेखा तथा संपरीक्षा, दीर्घकालीन योजना बनाने के प्रावधानों का समावेश किया गया। ग्राम सभाओं को अपने क्षेत्र में करारोपण के अधिकार भी सौंपे गये। ग्राम पंचायतों को उसके क्षेत्र के मूलभूत कार्यों के संबंध में सौंपे गए कृत्यों में से लगभग 52 तरह के कार्य ग्राम सभाओं को हस्तान्तरित किए गये। प्रदेश के पंचायत अधिनियम में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गये सुझाव अनुसार पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में कुछ संशोधन किए गये जो निम्नवत् हैं -

धारा	विवरण	संशोधन
धारा 12	ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन	ग्राम पंचायत के वार्डों का परिसीमन पंचायत के नियत अवधि पूर्ण होने के 6 माह के पूर्व किए जाने पर ही उसके नये स्वरूप अनुसार निर्वाचन कराये जाने का प्रावधान जोड़ा गया।
धारा 23	खण्ड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन	जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन पंचायत के नियत अवधि पूर्ण होने के 6 माह के पूर्व किए जाने पर ही उसके नये स्वरूप अनुसार निर्वाचन कराये जाने का प्रावधान जोड़ा गया।
धारा 30	जिले का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन	जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन पंचायत के नियत अवधि पूर्ण होने के 6 माह के पूर्व किए जाने पर ही उसके नये स्वरूप अनुसार निर्वाचन कराये जाने का प्रावधान जोड़ा गया।
धारा 17	सरपंच एवं उपसरपंच का निर्वाचन	सरपंच, उपसरपंच या पंच किसी नगर पालिक निगम, नगर पालिका या नगर परिषद् का महापौर, अध्यक्ष या पार्षद हो जाता है तो उसका ग्राम पंचायत का उक्त पद रिक्त माना जावेगा।
धारा 25	जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन	जनपद पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य किसी नगर पालिक निगम, नगर पालिका या नगर परिषद का महापौर, अध्यक्ष या पार्षद हो जाता है तो उसका जनपद पंचायत का उक्त पद रिक्त माना जावेगा।
धारा 32	जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य किसी नगर पालिक निगम, नगर पालिका या नगर परिषद् का महापौर, अध्यक्ष या पार्षद हो जाता है तो उसका जिला पंचायत का उक्त पद रिक्त माना जावेगा।
धारा 20	पंचायत की प्रथम बैठक	ग्राम पंचायत की उपसरपंच के निर्वाचन हेतु आयोजित होने वाली बैठक अब 30 दिन की अवधि के स्थान पर 15 दिन में आयोजित की जाने का संशोधन किया गया है।
धारा 27	प्रथम सम्मिलन और पदावधि	जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु आयोजित होने वाली बैठक अब 30 दिन की अवधि के स्थान पर 15 दिन में आयोजित की जाने का संशोधन किया गया है।
धारा 34	प्रथम सम्मिलन और पदावधि	अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु आयोजित होने वाली बैठक अब 30 दिन की अवधि के स्थान पर 15 दिन में आयोजित की जाने का संशोधन किया गया है।
धारा 38	पदों की रिक्तियों का भरा जाना	किसी पंचायत का पदधारी यदि नगर पालिक निगम, नगर पालिका या नगर परिषद् महापौर अध्यक्ष या पार्षद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका पंचायत का धारण किया गया पद रिक्त माना जावेगा।
धारा 49 क	ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य	(दो) गौशाला तथा कांजी हाउस स्थापित करना तथा उसका प्रबंध करना और भटके हुए पशुओं की उचित देख–रेख करना।
धारा 125	ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना ग्राम सभा का विभाजन, समामेलन तथा परिवर्तन	परन्तु यह और भी कि यदि किसी ग्राम पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है तो ऐसा परिसीमन प्रभावी नहीं होगा।
धारा 126	ग्राम का विस्थापन	यदि किसी ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र, किसी नगर परिषद् या नगर पालिका या नगर निगम में सम्मिलित किया जाता है तो ऐसी ग्राम पंचायत उस तारीख से विघटित की गई समझी जाएगी जिसका कि उस वार्ड का पार्षद जिसमें कि ग्राम पंचायत का उक्त क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, निर्वाचित होता है। परन्तु यह भी कि जहाँ ग्राम पंचायत का कोई भाग किसी नगर परिषद या नगर पालिका या नगर पालिक निगम में सम्मिलित किया जाता है और वार्डों की न्यूनतम संख्या कम होती है तब ऐसी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की कालावधि पूर्ण होने तक कार्य करती रहेगी।
धारा 127	खण्ड तथा जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन	परन्तु यह भी कि यदि ग्राम पंचायत का क्षेत्र जनपद पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आता है और जिला पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र के भीतर भी आता है, तब जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आयेगा। परन्तु यह भी कि यदि ऐसी जनपद पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है तो जनपद पंचायत के मुख्यालय का परिवर्तन या निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन प्रभावी नहीं होगा।

● प्रस्तुति : हेमलता हुरमाड़े

ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन भुगतान व प्रिया सॉफ्ट

पंचायती राज संस्थानों की ऑनलाइन लेखा प्रणाली

पंचायत राज संस्थाओं के वित्तीय लेन-देन के त्वरित क्रियान्वयन और पारदर्शिता के लिए भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश की सभी पंचायतों का Model Accounting System निर्मित किया गया है। इसके तहत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान संपादित किया जाता है। एक अप्रैल, 2019 से 14वें वित्त आयोग अनुदान के भुगतान के लिए प्रिया सॉफ्ट अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन भुगतान व प्रिया सॉफ्ट विषय पर पंचायतराज संचालनालय के प्रोग्रामर श्री दीपक गौतम द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दायित्व एवं भूमिका

पोर्टल में विभिन्न स्तरों- राज्य, जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पर यूजर बनाये गये हैं। इसमें मेकर ग्राम पंचायत सचिव हैं तथा चेकर ग्राम पंचायत के सरपंच हैं।

मेकर द्वारा बैंक खाता एवं ओपनिंग बैलेंस प्रविष्टि, वेंडर (भुगतान प्राप्तकर्ता) की जानकारी तथा भुगतान वाउचर की प्रविष्टि की जाती है। चेकर पंचायत स्तर पर की गई प्रत्येक प्रविष्टि की पुष्टि करता है।

ऑनलाइन हस्ताक्षर

Digital Signature Certificate (DSC) डोंगल

प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) डोंगल तैयार कर पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान संभव है, इसे कागज पर दर्ज हस्ताक्षर के समान ही मान्य किया जाता है। यह 8 अंकों के पासवर्ड से सुरक्षित है।

DSC बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आई.डी. एड्रेस प्रूफ तथा फोटो आवश्यक हैं।

ग्राम पंचायत एवं उसके ग्रामों की सूची लोकल गवर्मेंट डायरेक्ट्री (LGD)

डिजिटल सिग्नेचर के लिए सभी ग्राम पंचायतों और उसमें शामिल ग्रामों की जानकारी आवश्यक है ताकि लोकल गवर्मेंट डायरेक्ट्री का निर्माण किया जा सके। यह सूची इस प्रकार प्राप्त की जा सकती है।

- भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार ग्रामीण एवं नगरीय निकायों के डाटाबेस से।
- http://lgdirectory.gov.in से।
- जिला पंचायत लॉगिन द्वारा अपडेशन।
- डाउनलोड डायरेक्ट्री या रिपोर्ट नंबर 13 से पुष्टि।
- समस्त ऑनलाइन पोर्टल द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

भुगतान के लिए तैयारी क्या होगी

पंचायत दर्पण पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2018-19 अंतर्गत 14वें वित्त आयोग अनुदान सहित समस्त योजनाओं की शेष राशि का समायोजन (लेखा क्लोजिंग) करना।

प्रिया सॉफ्ट में 14वें वित्त आयोग अनुदान ओपनिंग बैलेंस की प्रविष्ट कर भुगतान करना।

अन्य योजनाओं के व्यय पंचायत दर्पण पोर्टल से पूर्व की भांति निरंतर रहेंगे।

लेखा की आधारभूत अनिवार्य बातें

- **ओपनिंग बैलेंस-** वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में किसी योजना की शेष राशि का विवरण।
- **दैनंदिनी लेखा-** प्रत्येक दिन के आय-व्यय का पत्रक।
- **मासिक लेखा-** प्रत्येक मास के आय-व्यय का पत्रक।
- **समाशोधन पत्रक-** बैंक पासबुक की प्रविष्टि से वाउचर के आय-व्यय का मिलान।
- **वार्षिक लेखा -** संपूर्ण वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का पत्रक।
- **मुख्य शीर्ष -** जिस सेक्टर अंतर्गत भुगतान किया जा रहा है जैसे सड़क, पेयजल आदि।
- **लघु शीर्ष -** जिस एजेंसी द्वारा भुगतान किया जा रहा है।
- **उप शीर्ष -** योजना अथवा मद।
- **उद्देश्य शीर्ष -** भुगतान मद जैसे मटेरियल, लेबर आदि।

भुगतान हेतु 10 कदम

भुगतान के लिए आपको जिन दस कदमों पर चलना है, वे इस प्रकार हैं-

1. **ई-मेल एक्टीवेशन -** ग्राम पंचायत के नाम से बनाई गई NIC ई-मेल उपयोग में लाना।
2. **कम्प्यूटर सेटिंग -** जावा एवं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट साईनर इंस्टालेशन।
3. **पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) पोर्टल प्रविष्टि -** अपनी

ग्राम पंचायत को संस्था के तौर पर दर्ज करना।

4. **यूजर नेम - पासवर्ड प्राप्ति** - ग्राम पंचायत के तीन स्तर के लॉगिन प्राप्त करना। (एडमिन, मेकर एवं चेकर)।
5. **व्यक्तिगत प्रोफाइल प्रविष्टि** - जनपद पंचायत से ऑनलाइन पुष्टि।
6. **डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) रजिस्ट्रेशन** - जनपद पंचायत से ऑनलाइन पुष्टि।
7. **डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) अपलोडिंग** - जनरेट करना तथा साइन करना।
8. **वित्तीय वर्ष सेटिंग** - एडमिन लॉगिन से 2019-20
9. **14वां वित्त ओपनिंग बैलेंस** - मेकर लॉगिन से करना।
10. **वेंडर की प्रविष्टि** - बैंक खाता, नाम आदि।

भुगतान कैसे करें

1. मेकर लॉगिन से भुगतान वाउचर की प्रविष्टि

- भुगतान प्रकार
- भुगतान मद-उपमद
- भुगतान प्राप्तकर्ता
- भुगतान राशि
- रिफरेंस नंबर
- डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) साइन

2. चेकर लॉगिन से वाउचर की पुष्टि कर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) साइन करना।

● **प्रस्तुति : जय ठकराल**

प्रिया सॉफ्ट

प्रिया सॉफ्ट देश की सभी पंचायतों का मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम है। इसे पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2010 में तैयार किया गया है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से इसे 14वें वित्त आयोग अनुदान के ऑनलाइन व्यय के पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) पोर्टल के माध्यम से संपादित करने के लिये अनिवार्य कर दिया गया है। मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रिया सॉफ्ट द्वारा 14वें वित्त आयोग अनुदान के ऑनलाइन व्यय के लिए उपयोग हेतु जिला, जनपद तथा ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी कर दिये हैं।

संपूर्ण प्रदेश में इसका उपयोग किया जा रहा है।

प्रिया सॉफ्ट की प्रक्रिया

1. प्रिया सॉफ्ट का URL : www.accountingonline.gov.in है।
2. पोर्टल में चार लेवल के यूजर हैं - राज्य, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर
3. राज्य प्रबंधक द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों के Username - Password बनाये गये हैं जो क्रमशः Admin, Maker एवं Checker हैं।
4. ग्राम पंचायत का बैंक खाता ग्राम पंचायत द्वारा मैप करके 14वें वित्त आयोग अनुदान का ओपनिंग बैलेंस फ्रीज किया जाता है।
5. प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तैयार की जाकर पोर्टल पर रजिस्टर किए जाते हैं जिसे जनपद एडमिन द्वारा Approve किया जाता है। प्रथम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत सचिव का है जिसे मेकर कहा गया है। द्वितीय डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सरपंच का है जिसे चेकर कहा गया है।
6. मेकर एवं चेकर को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उनकी प्रोफाइल अपडेट करनी होती है जो उनके ई-मेल एवं प्रोफाइल नंबर पर OTP द्वारा सत्यापित की जाती है। जनपद एडमिन द्वारा इनकी प्रोफाइल Approve की जाती है।
7. पब्लिक फायनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) में राज्य एवं ग्राम पंचायत को एजेंसी के रूप में पंजीकृत किया गया है।
8. प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों की मैपिंग Local Government Directory में की गई है जो कि PriaSoft-PFMS में इंटीग्रेट है।
9. भुगतान प्राप्तकर्ता (Vendor) की प्रविष्टि उसके बैंक खाते सहित प्रिया सॉफ्ट में मेकर एवं चेकर द्वारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) से Approve किया जाता है। तत्पश्चात पब्लिक फायनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) द्वारा भी Approve किया जाता है।
10. मेकर एवं चेकर द्वारा भुगतान वाउचर अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) से अप्रूव कर बैंक सर्वर पर सीधे ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है।

भुगतान प्रक्रिया

1. पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम - प्रिया सॉफ्ट से Approved वेंडर को ही भुगतान किया जाता है।
2. पेमेंट वाउचर की आवश्यक प्रविष्टि के बाद मेकर द्वारा उसके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से फाइल ट्रांसफर ऑब्जेक्ट (FTO) जनरेट किया जाता है एवं चेकर द्वारा वेरीफिकेशन कर उसके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) से फाइनल किया जाता है।
3. FTO के बाद भुगतान के एक्सटेन्डेबल मार्कअप लैंग्वेज (XML) फाइल प्रिया सॉफ्ट - पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से बैंक सर्वर पर पहुंचती है एवं भुगतान की स्थिति PriaSoft-PFMS पोर्टल पर उपलब्ध होती है।

सरपंच एवं सचिव के संयुक्त डिजिटल टोकन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से भुगतान

समस्त ग्राम पंचायत सरपंच के एक वर्ष की वैधता के एवं ग्राम पंचायत सचिव के दो वर्ष की वैधता के व्यक्तिगत डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) (क्लास 2) बनाये गये हैं। DSC उपयोग करने हेतु कम्प्यूटर में जावा और DSC ड्राइवर इंस्टॉल किया जाना आवश्यक होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) बनाने हेतु अधिकतम राशि रु. 1000/- व्यय की जाती है।

● दीपक गौतम
प्रोग्रामर पंचायत राज संचालनालय

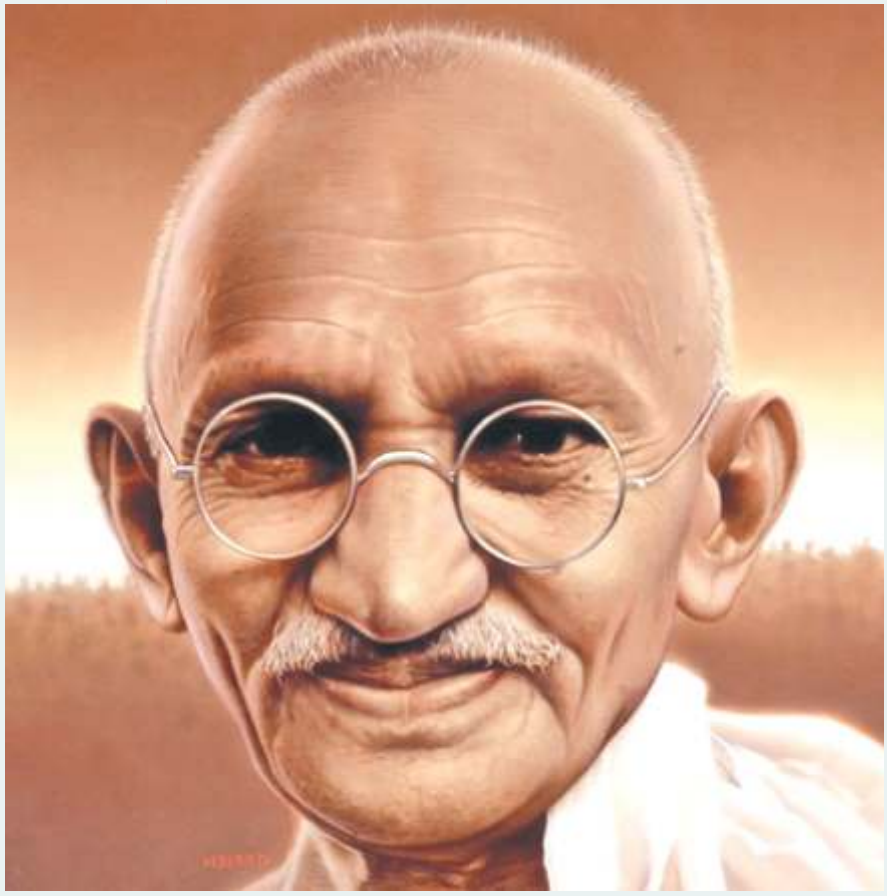

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

महात्मा गांधी का मत था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। विकास के रास्ते गांव से शहर की ओर होने चाहिए। उनकी कल्पना में देश के गांव का स्वरूप एक लघु गणराज्य रहा। वे कहते थे वास्तविक लोकतंत्र वही है जब प्रत्येक गांव के लोगों की भागीदारी से विकास हो।

गांव एक गणराज्य बने जिसमें उत्पाद निर्माण से विक्रय तक की कड़ी से आर्थिक स्वावलम्बन विकसित हो। यही उनकी ग्राम स्वराजय की कल्पना थी।

विकास की कल्पना को आकार देने के लिए 73वें संविधान संशोधन से त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया। इससे स्थानीय विकास की संभावनाएं विकसित हुईं। संवैधानिक प्रावधान के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था द्वारा अच्छे प्रशासन, सामाजिक समावेश, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। 73वें संविधान संशोधन ने जहां पंचायतों को स्थानीय नियोजन और विकास की गतिविधियों के लिए अधिकार दिये वहीं इस व्यवस्था के लागू होने से जमीनी स्तर पर स्थानीय नेतृत्व उभर कर

गांव एक गणराज्य बने जिसमें उत्पाद निर्माण से विक्रय तक की कड़ी से आर्थिक स्वावलम्बन विकसित हो। यही उनकी ग्राम स्वराजय की कल्पना थी। विकास की कल्पना को आकार देने के लिए 73वें संविधान संशोधन से त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया। इससे स्थानीय विकास की संभावनाएं विकसित हुईं। संवैधानिक प्रावधान के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था द्वारा अच्छे प्रशासन, सामाजिक समावेश, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। 73वें संविधान संशोधन ने जहां पंचायतों को स्थानीय नियोजन और विकास की गतिविधियों के लिए आदेशित किया वहीं इस व्यवस्था के लागू होने से जमीनी स्तर पर स्थानीय नेतृत्व उभर कर आया जिससे स्थानीय क्षमता, स्थानीय मेधा और स्थानीय आवश्यकता के आधार पर समावेशी विकास की ओर कदम बढ़ाये हैं। त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रणाली द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य को सार्थक किया जा रहा है।

आया जिसने स्थानीय क्षमता, स्थानीय मेधा और स्थानीय आवश्यकता के आधार पर समावेशी विकास की ओर कदम बढ़ाये हैं। त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रणाली द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य को सार्थक किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा गांवों से गरीबी हटाने, असमानता दूर करने, मानव विकास सूचकांक में सुधार और बेरोजगारी दूर करने के बहुउद्देशीय उद्देश्यों के साथ पंचायतों के माध्यम से सार्वजनिक व्यय में बढ़ोत्तरी की गई।

भारत सरकार चौदहवें वित्त आयोग और अन्य योजनाएँ मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य अतिरिक्त रूप से राज्य वित्त आयोग के माध्यम से राशि हस्तांतरित करते हैं। चौदहवें वित्त

- **देश भर में पंचायती राज संस्थाओं की संख्या 2,56,103**
- **ग्राम पंचायतों की संख्या 2,48,856**
- **ब्लॉक पंचायतों की संख्या 6,626**
- **जिला पंचायतों की संख्या 621**
- **निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 31,00,000**
- **निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14,39,000**
- **गैर पंचायती राज संस्था वाले क्षेत्र (गैर भाग IX)- मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के पर्वतीय इलाकों के हिस्सों, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्से।**

संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय

1. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि-विस्तार है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्र का विकास।
4. पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन।
5. मत्स्य उद्योग।
6. सामाजिक वानिकी और फॉर्म वानिकी।
7. लघु वन उपज।
8. लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं।
9. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवासन।
11. पेय जल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है।
15. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।
22. बाजार और मेले।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं।
24. परिवार कल्याण।
25. महिला और बाल-विकास।
26. समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।
27. दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

आयोग द्वारा ग्रामीण विकास के लिए बढ़ी राशि प्रदान की गई है। इससे विकास के अभूतपूर्व परिणाम निकले इसलिए पंचायतों का क्षमतावर्धन किया जाना आवश्यक समझा गया।

सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं में क्षमताओं के निर्माण के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की शुरुआत की गई। देखा जाये तो देश में गरीबी, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छता, पेयजल, आजीविका

ग्राम पंचायतों के कार्य

राज्यों के पंचायत अधिनियमों द्वारा ग्राम पंचायतों को सौंपे गए कार्य - ग्राम पंचायतों के इन कार्यों में अन्य कार्यों के साथ-साथ आधारभूत सार्वजनिक स्वच्छता, पेयजल, आंतरिक संयोजन, स्ट्रीट लाईट, खेल के मैदानों, पार्कों, अन्य साझा संपत्तियों का रख-रखाव शामिल है।

संघ और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, सरकार के उच्च स्तरीय एजेंट के रूप में। इसमें ग्रामीण विकास, पेयजल और स्वच्छता के कार्यक्रम शामिल हैं।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

उद्देश्य

- **सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की अभिशासन क्षमता विकसित करना।**
- **उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को हल करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमताओं में वृद्धि करना।**
- **राजस्व के अपने स्रोतों को बढ़ाने के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना।**
- **ग्राम सभा को पंचायत प्रणाली के भीतर लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के बुनियादी मंच के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए मजबूती प्रदान करना।**
- **संविधान और पीईएसए अधिनियम, 1996 की भावना के अनुसार पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों के अंतरण को बढ़ावा देना।**
- **पीआरआई के लिए क्षमता निर्माण और निकटस्थ समर्थन करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों का नेटवर्क विकसित करना।**
- **विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्था की क्षमता में वृद्धि के लिए संस्थाओं को सुदृढ़ करना और उन्हें आधारभूत संरचना, सुविधाओं, मानव संसाधनों और परिणाम आधारित प्रशिक्षण में पर्याप्त गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना।**

कार्यक्षेत्र

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान देश के सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों (यूटी) तक विस्तारित है। इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए, जहां भी 'पंचायत' का उल्लेख किया गया है, इनमें गैर-भाग IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार की संस्था शामिल हैं।

सतत विकास लक्ष्य

- लक्ष्य 1 : हर जगह से सभी प्रकार की गरीबी का उन्मूलन।
- लक्ष्य 2 : भूख को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना तथा पोषण में सुधार करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना।
- लक्ष्य 3 : स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के सभी व्यक्तियों की कुशलता को बढ़ावा देना।
- लक्ष्य 4 : समावेशी और न्यायसंगत ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना।
- लक्ष्य 5 : लैंगिक असमानता दूर करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना।
- लक्ष्य 6 : सभी के लिए पानी और स्वच्छता की सतत उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- लक्ष्य 7 : सभी की वहनीय, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- लक्ष्य 8 : निरंतर, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोज़गार और सभी के लिए सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देना।
- लक्ष्य 9 : लचीला बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना।
- लक्ष्य 10 : देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना।
- लक्ष्य 11 : शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना।
- लक्ष्य 12 : टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना।
- लक्ष्य 13 : जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।
- लक्ष्य 14 : सतत विकास के लिए महानगरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और न्यायसंगत तरीके से उपयोग करना।
- लक्ष्य 15 : स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग को सुरक्षित, पुनर्स्थापित और बढ़ावा देना, जंगलों का स्थायी रूप से प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना, जमीन में गिरावट को रोकना तथा प्रत्यावर्तित करना और जैव विविधता हानि को रोकना।
- लक्ष्य 16 : स्थायी विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, उत्तरदायी और समावेशी संस्थान बनाना।
- लक्ष्य 17 : कार्यान्वयन के साधनों को सुदृढ़ करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के फोकस क्षेत्र

- पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस) के लिए उनके चुनाव के 6 महीने के भीतर मूल उन्मुखीकरण प्रशिक्षण।
- रिफ्रेशर प्रशिक्षण 2 साल के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
- प्राथमिकता के आधार पर आकांक्षी जिलों और मिशन अंत्योदय क्लस्टर निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) का क्षमता निर्माण।
- पंचायत-एसएचजी साझेदारी को सुदृढ़ बनाना।

सृजन आदि स्थानीय विकास की चुनौतियां हैं। यह सभी सतत विकास के लक्ष्यों के समन्वय से ही संभव है। इन्हें ग्राम पंचायत के माध्यम से ही पूर्ण किया जा सकता है। इसीलिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान द्वारा इसे पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

जनवरी में शुरू किये गए आकांक्षी जिलों का कायाकल्प कार्यक्रम का उद्देश्य चयनित 117 जिलों में तेजी से और प्रभावी ढंग से बदलाव लाना है। इन जिलों का चयन वंचित भूमिहीन परिवारों की सीमा, स्वास्थ्य और पोषण (संस्थागत वितरण, बच्चों की तकलीफों की रोकथाम), शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा छोड़ने की दर और प्रतिकूल छात्र-शिक्षक अनुपात) और आधारभूत संरचना (शौचालयों की कमी), सड़क से गांवों का न जुड़ना और पीने के पानी की कमी के मापदंडों पर चयन किया गया है। इन जिलों में सतत विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिये पंचायतों को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए सक्षम करने के उद्देश्य से क्षमतावर्धन करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित क्षमतावर्धन कार्यशालाओं में पंचायत के निर्वाचित

इनमें अंतरालों को पाटना

- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एवं टी)।
- ग्राम पंचायत अवसंरचना।
- दूरस्थ शिक्षा और पंचायतों की ई-सक्षमता के लिए आईटी का उपयोग।
- नवाचार के लिए संस्थागत सहयोग
- आर्थिक विकास और आय में वृद्धि में अंतराल को भरने का समर्थन करना।
- पहचान किए गए अंतराल पर आधारित मानव संसाधन (एच आर) सहित तकनीकी सहायता।
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत को अकादमिक तथा उत्कृष्टता के संस्थानों द्वारा निकटस्थ समर्थन प्रदान करना।
- ग्राम पंचायत स्तर पर पर्याप्त जनशक्ति के प्रावधान को बढ़ावा देना और तकनीकी जनशक्ति के लिए समर्थन प्रदान करना।
- मंत्रालय द्वारा विकसित पंचायत एंटरप्राइज़ सूइट (पीईएस) अनुप्रयोगों पर जोर देने के साथ दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-गवर्नेंस के लिए पंचायतों की अधिक ई-सक्षमता का समर्थन करना।
- इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी), पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) की सुविधा के लिए, ग्राम पंचायत में संपत्तियों का उपयोग और जियोटैगिंग।
- आर्थिक विकास और आय में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए अंतराल वित्त पोषण का एक नया घटक प्रदान करता है।
- प्रोटोकॉल और भवन क्षमताओं की स्थापना के लिए राष्ट्रीय घटक।

● प्रस्तुति : ज्योति राय

कार्यक्रम के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां

केन्द्र स्तरीय गतिविधियां

- तकनीकी सहायता की राष्ट्रीय योजना।
- अकादमिक संस्थानों/एनआईआरडी और पीआर के उत्कृष्ट संस्थानों के साथ सहयोग।
- ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना।
- पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण (पुरस्कार)।

राज्य घटक

- पीआरआई को तकनीकी सहायता।
- पेसा क्षेत्रों सहित ग्राम सभा का सुदृढ़ीकरण।
- प्रशिक्षण अवसंरचना और एचआर।
- नवाचार गतिविधियां।
- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण।
- दूरस्थ शिक्षा।
- प्रशासनिक और वित्तीय आंकड़ा विश्लेषण प्रकोष्ठ।
- पंचायत भवन और सामुदायिक हॉल।
- पंचायतों की ई-सक्षमता।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय आंकड़ा विश्लेषण योजना इकाई।
- आईईसी (2 प्रतिशत)।
- कार्यक्रम प्रबंधन (5 प्रतिशत)।

प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

देश में लगभग 2.56 लाख पंचायत और पंचायती राज संस्थाओं के लगभग 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 13.759 लाख (लगभग 44.37 प्रतिशत) महिलाएँ हैं। स्थानीय शासन में महिलाओं का यह प्रतिनिधित्व दुनिया में सबसे ज्यादा है। इतने बड़े प्रतिनिधि वर्ग का प्रशिक्षण चुनौतीपूर्ण होने के साथ आवश्यक भी है।

इन प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण से निश्चित ही ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक असमानता के मुद्दों को हल करने में अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त होगा। इसी के साथ स्थानीय स्वशासन को लेकर एक और महत्वपूर्ण पक्ष है और वह है पाँचवी अनुसूची के क्षेत्रों का।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) (पीईएसए) अधिनियम 1996, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन और संसाधनों पर लोगों के नियंत्रण पर बल देता है। वर्तमान परिस्थिति में पेसा एक्ट के क्रियान्वयन में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। इसीलिए पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के साथ पाँचवीं अनुसूचित के क्षेत्रों में पीईएसए अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रभावी पहल आवश्यक है।

भारत सरकार द्वारा इन सभी आवश्यकताओं और उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पंचायत स्तर के अमले को प्रशिक्षित कर क्षमतावान बनाये जाने का प्रयत्न है। उम्मीद की जा रही है कि इससे निश्चित ही विकास के लक्ष्य पूर्ण होंगे।

● प्रस्तुति : समीर शास्त्री

विकास कार्यों का त्वरित और पारदर्शितापूर्ण क्रियान्वयन

ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना

देश में पारदर्शितापूर्ण त्वरित कार्य व्यवस्था लागू करने के लिए त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था में ई-पंचायत व्यवस्था व्यवहार में लाई गई। इसमें सर्वप्रथम सभी पंचायतों को ई-पंचायत स्वरूप दिया गया। नेटवर्क से जोड़ा गया। इससे जहाँ कार्य त्वरित गति से हो रहे हैं, वहीं कार्यों में पारदर्शिता के साथ डिजिटल इंडिया का स्वप्न आकार ले रहा है।

ई-पंचायत भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मिशन मोड परियोजना में शामिल है। इसके तहत सूचना संचार प्रौद्योगिकी द्वारा आंतरिक प्रबंधन, दक्षता, पारदर्शिता और नागरिकों को स्थानीय स्तर पर सेवा प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। इसके लागू होने से पंचायत स्तर पर सारे कार्य ऑनलाइन सम्पन्न होना संभव है।

इस परियोजना के क्रियान्वयन से पंचायतों को जल्दी निर्णय लेने तथा कार्य करने में सहयोग प्राप्त होगा। कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ गति आयेगी और त्वरित परिणाम प्राप्त होंगे। इससे भ्रष्टाचार में अंकुश लगने के साथ कार्य की गुणवत्ता कई गुना बढ़ेगी जिससे विकास के लक्ष्य पूर्ण होंगे।

देश में पारदर्शितापूर्ण त्वरित कार्य व्यवस्था लागू करने के लिए त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था में ई-पंचायत व्यवस्था व्यवहार में लाई गई। इसमें सर्वप्रथम सभी पंचायतों को ई-पंचायत स्वरूप दिया गया। नेटवर्क से जोड़ा गया। इससे जहाँ कार्य त्वरित गति से हो रहे हैं, वहीं कार्यों में पारदर्शिता के साथ डिजिटल इंडिया का स्वप्न आकार ले रहा है।

- **वेब आधारित अनुप्रयोग**
- **मोबाइल अनुप्रयोग**
- **आयोजना**
- **बजटन एवं लेखांकन**
- **निगरानी और जियो टैगिंग**
- **राज्य के अनुप्रयोगों का पीईएस अनुप्रयोगों के साथ एकीकरण**
- **प्रशिक्षकों के लिए संबंधित प्रशिक्षण**

ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना में कई गतिविधियां शुरू की जा रही हैं :

- बजटन, लेखांकन, निगरानी, परिसंपत्तियों के जियो टैगिंग, सेवा वितरण, रिपोर्टिंग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/पीआरआई से संबंधित क्षमता निर्माण हेतु पंचायतों (पंचायत एंटरप्राइज सूइट (पीईएस)) के लिए वेब आधारित अनुप्रयोगों का विकास और रख-रखाव।
- एफएफसी अनुदान, जीपीडीपी, आरजीएसए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), ऑनलाइन ज्ञान प्रबंधन पोर्टल, पीईएस पर मास्टर ट्रेनर्स (एमटी) के लिए प्रशिक्षण, राज्य अनुप्रयोगों/पंचायत भवन के साथ पीईएस अनुप्रयोगों के एकीकरण के लिए पोर्टल/तकनीकी सहायता प्रदान करने, स्वयं के स्रोत राजस्व, संसाधनों के मानचित्रण इत्यादि हेतु सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप, मॉनिटरिंग

ई-पंचायत के क्षेत्र में

1. **प्रियासॉफ्ट-** वाउचर प्रविष्टियों के माध्यम से प्राप्ति और व्यय विवरण दर्ज करता है और कैश बुक, रजिस्टर इत्यादि स्वचालित रूप में बनाता है।
2. **प्लान प्लस-** सहभागी विकेन्द्रीकृत योजना के सुदृढ़ीकरण में सुविधा देता है और सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को तैयार करने में सक्षम बनाता है।
3. **नेशनल पंचायत पोर्टल-** सार्वजनिक डोमेन में जानकारी साझा करने हेतु प्रत्येक पंचायत (यानी जेडपी, बीपी और जीपी) के लिए डायनामिक वेबसाइट।
4. **स्थानीय सरकारी निर्देशिका-** स्थानीय सरकारों के सभी विवरण दर्ज करता है और उन्हें यूनीक कोड प्रदान करता है। विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के साथ भी पंचायतों को जोड़ता है।
5. **एक्शन सॉफ्ट-** कार्यों की वित्तीय और वास्तविक प्रगति को सही प्रकार से दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।
6. **राष्ट्रीय परिसम्पत्ति निर्देशिका-** निर्मित/अनुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण दर्ज करता है; कार्यों के दोहराव से बचने में मदद करता है और उनका रख-रखाव करता है।
7. **एरिया प्रोफाइलर-** किसी गांव/पंचायतों के भौगोलिक, जन सांख्यिकीय, अवसंरचनात्मक, सामाजिक-आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन संबंधी विवरण को दर्ज करता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों, चुनाव आदि के ब्यौरे को दर्ज करता है।
8. **सर्विस प्लस-** सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रदान करने में सहायता हेतु एक गतिशील मेटाडेटा-आधारित सेवा वितरण पोर्टल।
9. **प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल-** नागरिकों, उनकी प्रतिक्रियाओं, प्रशिक्षण सामग्री इत्यादि सहित हितधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोर्टल।
10. **सामाजिक लेखा परीक्षा-** पंचायत द्वारा की गई विभिन्न योजनाओं के तहत काम को समझने, मापने और सत्यापित करने के लिए और इसके अतिरिक्त संबंधित पंचायतों के सामाजिक कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए।

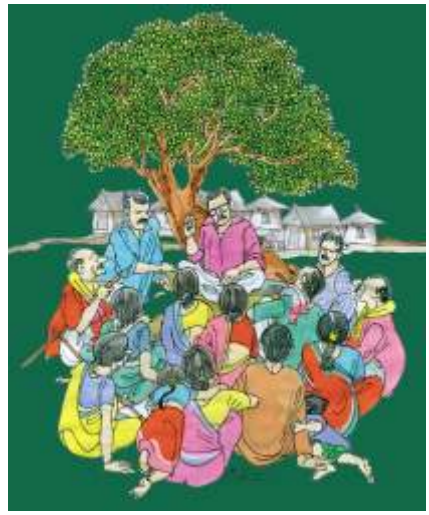

एप्लीकेशन जैसे डैशबोर्ड विकसित करना।

इस तरह राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत स्तर पर सूचना संचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। इससे पंचायत स्तर पर ई-पंचायतें सक्षम होंगी। अभियान के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में मध्यप्रदेश में लगभग 40 हजार प्रतिभागियों ने वर्चुअल प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

इससे कम्प्यूटीकरण, ई-एप्लीकेशन आधारित लेखांकन, रिकॉर्ड रखने, संपत्ति मानचित्रण, स्थानीय स्तर की योजनाओं का क्रियान्वयन और निगरानी पारदर्शितापूर्ण संभव है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से विशेष सॉफ्टवेयर के प्रयोगों की जानकारी प्रदान की गयी, जिसका लाभ ग्रामीणों को प्राप्त होगा।

सभी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक वितरण व्यवस्था से (प्रमाण-पत्र, लाइसेंस, कर संग्रह आदि) प्राप्त हो रही हैं।

पंचायतों की ई-सक्षमता के लिये देश भर में राज्यों द्वारा अपने स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि देश में मध्यप्रदेश ने सबसे पहले वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है।

● **प्रस्तुति : ज्योति राय**

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बेहतर परिणामों के लिए
प्रदर्शन आधारित भुगतान समिति द्वारा सिफारिशों का सारांश

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में पूर्णकालिक सचिव होना चाहिए जो नियमित कर्मचारी हो। आबादी के आकार के आधार पर सचिव की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अलग-अलग हो सकती हैं। 10,000 या उससे अधिक की आबादी वाली बड़ी पंचायतों के लिए, ग्रुप बी और सी सेवाओं से संबंधित पंचायत विकास अधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की जाती है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में तकनीकी सहायक होना चाहिए। मौजूदा जीआरएस को पानी की आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित आवश्यक इंजीनियरिंग कार्यों को पूरा करने के लिए बेयरफुट तकनीशियनों के रूप में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें विकास प्रशासन में सचिव का भी सहयोग करना चाहिए और एक योग्य तकनीकी व्यक्ति द्वारा इन सबका पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। 20,000 से कम आबादी वाली पंचायतों के लिए इस व्यवस्था की अनुशंसा की जाती है और 20,000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों के लिए डिप्लोमा या डिग्रीधारी एक योग्य कर्मचारी की आवश्यकता हो सकती है।
- छोटी पंचायतों (10,000 से कम आबादी) के लिए आईटी और लेखांकन के लिए सहायक कर्मचारियों के संबंध में, एसएसजी नेटवर्क से आउटसोर्सिंग या एसएचजी नेटवर्क से सीएससी या प्रशिक्षित सीआरपी की सिफारिश की जाती है। बड़ी पंचायतों के लिए प्रशिक्षित सीआरपी को वरीयता देते हुए या अधिक औपचारिक आउटसोर्सिंग हो सकती है।
- सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपने काम के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने का ज्ञान होना चाहिए और मौजूदा कर्मचारियों को राज्य से समर्थन की सहायता से एक निश्चित अवधि के भीतर आवश्यक प्रवीणता हासिल करने के लिए सक्षम होना चाहिए।
- छोटे आकार और कम आबादी की पंचायतों वाले राज्यों में पंचायतों का क्लस्टर बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। 10,000 से कम आबादी वाली पंचायतों में, पर्याप्त योग्यता वाले क्लस्टर स्तर पर स्थायी विशेषकर इंजीनियरिंग, लेखा और आईटी के कार्यों के लिए स्थायी कर्मचारियों के पदों का सृजन किया जा सकता है। यदि यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो तो इन पदों को विशेष रूप से मध्यवर्ती पंचायत (आईपी) स्तर पर पंचायतों को सेवा प्रदान करने के लिए दौरों की आवृत्ति, प्रदर्शन प्रमाणन जवाबदेही इत्यादि से संबंधित सेवाओं के लिए स्पष्ट मानदंडों के साथ पदों का सृजन किया जा सकता है। पेसा एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक आकार या कम आबादी की सीमा रेखा राज्यों द्वारा तय की जा सकती है।
- सचिवों की ताजा भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता कम्प्यूटर में प्रवीणता के साथ स्नातक होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को कम से कम सोलह सप्ताहों का प्रेरण प्रशिक्षण देना चाहिए जिसमें चार सप्ताह के फील्ड प्रशिक्षण शामिल हों।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) राज्यों को विभिन्न पदों पर सभी मौजूदा कर्मचारियों के लिए एक व्यापक योग्यता ढांचा (कम्पेटेन्सी फ्रेमवर्क) विकसित करने में सहायता कर सकते हैं।
- कॅरियर संभावना को देखते हुए

स्थायी भर्ती (कर्मचारियों) को राज्य कैडरों में लेने की संभावनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

- अनुबंध पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के लिए भी न्यूनतम योग्यता और सख्त चयन प्रक्रियाओं की सिफारिश की जाती है। ऐसे कर्मचारियों के लिए पंचायतों में स्थायी पदों का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करके उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उनका प्रोत्साहन किया जाना चाहिए जो अनुबंध सेवा की निर्धारित अवधि पूरी करते हैं और न्यूनतम योग्यता रखते हैं।
- आउटसोर्सिंग के मामले में योग्यता और अनुभव को मानदंड में शामिल होना चाहिए।
- मध्यवर्ती पंचायत (आईपी) स्तर पर इंजीनियरिंग और आईटी में पर्याप्त पर्यवेक्षी पद होने चाहिए। जिला पंचायत के मामले में, समिति ने गुणवत्ता निगरानी तंत्र की स्थापना की सिफारिश की है।
- समिति राज्यों में जिला पंचायतों के साथ डीआरडीए के विलय की सिफारिश करती है जहां यह अभी तक नहीं किया गया है।
- समिति एक क्रियाशील शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की सिफारिश करती है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना कार्यान्वयन किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो, एमओआरडी राज्यों को मौजूदा योजना विशिष्ट कर्मचारियों को कई कार्यों को सौंपने की सुविधा प्रदान के लिए सक्षम करने वाले दिशा-निर्देश जारी करेगा।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्लूएस) संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासनिक लागत के लिए निर्धारित धनराशि आईपी और पंचायत स्तर पर राज्यों को दी गई एचआर से संबंधित लागत पर खर्च करने की स्वतंत्रताओं और योजनाओं से अबद्ध हो।
- उपरोक्त 1-15 सिफारिशों को मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायत तथा क्लस्टर में तेजी से ट्रैक किया जा सकता है।
- व्यावहारिकता के लिए समिति ने सिफारिश की है कि आकार और आबादी के मामले में नए और छोटे पंचायतों के निर्माण से बचा जा सके।
- इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए धन की कमी के मामले में, संशोधित आरजीएसए में राज्यों के प्रोत्साहनीकरण के लिए पांच साल तक का समर्थन को शामिल किया जा सकता है।
- ब्लॉक/मध्यवर्ती स्तर पर अपने इंजीनियरिंग कर्मचारियों को मजबूत करने के लिए राज्यों की मदद के लिए एमओपीआर पांच साल की अवधि के लिए सालाना 1,000 करोड़ रुपये का बजट बना सकता है। यह सहायता राज्यों के साथ साझाकरण आधार पर होनी चाहिए।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा संघटक के साथ पीईएसए क्षेत्रों में पंचायतों के लिए मौजूदा मानव संसाधन समर्थन, इंटरमीडिएट स्तर पर एक

पीईएसए समन्वयक, जिले में एक पीईएसए समन्वयक को भविष्य में जारी रखा जा सकता है।

- स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क के मानव संसाधनों का उपयोग विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित गतिविधि समूहों के रूप में और विशेष कार्यों को करने और ग्राम सभा के दौरान भागीदारी बढ़ाने के लिए एसएचजी के बीच प्रशिक्षित सीआरपी के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सकता है।
- वीओ का उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों को आयोजित करने में जीपी का समर्थन करने में किया जा सकता है।
- विभिन्न कार्यों को करने के लिए सीआरपी और गतिविधि समूहों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत और एसएचजी नेटवर्क-वीओ के बीच कार्यात्मक और प्रभावी साझेदारी के लिए औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत की कार्यशील समितियों की स्थिति दी जा सकती है।
- एनजीओ, स्थानीय नियोजन प्रक्रिया, निर्माण कार्य, सर्वेक्षण और अध्ययन का संचालन, सामाजिक उत्तरदायित्व में सुधार, कर और फीस का भुगतान करने, सामुदायिक संघटक, एफआरए और पीईएसए के तहत दावों और कानूनी मामलों, विवादों का समाधान, ग्राम पंचायतों के बीच गठजोड़ बनाने के लिए ग्राम पंचायतों और अन्य संस्थानों का समर्थन कर सकता है।
- क्रियाशील समितियां, ग्राम पंचायत संघटन, लाभार्थियों की पहचान, पेशागत सहायता, क्रियाशील समितियों के लिए भूमिका की स्पष्टता के लिए गुणवत्ता आश्वासन और आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने का समर्थन कर सकती हैं।
- पंचायतों में सामाजिक उत्तरदायित्व में सुधार के लिए कुछ कदमों की सिफारिश की गई है।
- सहभागितापूर्ण आयोजना और बजटन, सक्रियता समर्थक प्रकटीकरण, जनता सूचना प्रणाली, सार्वजनिक पुस्तकालय, सेवाओं के वितरण के अधिकार, नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण, लोगों से संपर्क के दिन, निर्धारित बजट के प्रभावी उपयोग के लिए स्टेटस अध्ययन की तैयारी, भागीदारीपूर्ण आकलन, भागीदारीपूर्ण व्यय ट्रैकिंग, समुदाय आधारित निगरानी, नागरिक स्कोर कार्ड, नागरिक जूरी अथवा पैनल, पंचायत आदि के सामाजिक लेखा परीक्षा को लागू करने की आवश्यकता है।
- इस समिति द्वारा अनुमोदित ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा प्रस्तावित अभिशासन और उत्तरदायित्व उपायों का एक सेट है जिसमें समुदाय के क्षमता निर्माण, आंतरिक लेखा परीक्षा और समयबद्ध कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है।
- मिशन अंत्योदय के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में तत्काल परिचालन के लिए, भागीदारीपूर्ण आयोजना और बजटन सार्वजनिक सूचना प्रणाली, नागरिक चार्टर, प्रकटीकरण, सामाजिक लेखा परीक्षा और नागरिक स्कोर कार्ड पर विचार किया जा सकता है।
- आईटी के मोर्चे पर यह सिफारिश की जाती है कि पंचायतों को केवल लेनदेन आधारित सॉफ्टवेयर, लेखांकन के डबल एंट्री सिस्टम को सेक्यूर (एसईसीयूआरई) सॉफ्टवेयर को सार्वभौमिक बनाने, पीईएस को ग्राम पंचायत स्तर पर लेनदेन का समर्थन करने के लिए अपग्रेड करने और बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के सॉफ्टवेयर चलाने के प्रावधान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। एनआईआरडी एवं पीआर विभिन्न पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकसित सभी आईसीटी अनुप्रयोगों के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक सामान्य मंच के रूप में कार्य करने के लिए काम करे।
- समिति निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की सिफारिश करती है।
- समिति गुणवत्ता निगरानी तंत्र को अपनाने की सिफारिश करती है।
- विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों के निष्पादन में शामिल इंजीनियरों का प्रशिक्षण अनुशंसित है।
- ग्रामीण स्तर पर संपत्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि गुणवत्ता की एक प्रणाली को अपनाया जाए जो कि पीएमजीएसवाई के तहत समान है।
- सभी मौजूदा ग्राम पंचायत सचिवों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और नए सचिवों को सख्त प्रेरणादायी प्रशिक्षण के माध्यम से रखा जाना चाहिए। एमओआरडी-आईएलओ मॉड्यूल जीआरएस को अतिरिक्त कौशल प्रदान करने, लेखांकन पर प्रशिक्षण और एसएचजी और सीआरपी के लिए काम के क्षेत्रों में आईटी से संबंधित अनुप्रयोगों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री का मूल बना सकता है। विभिन्न कर्मियों के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए अभिसरण दृष्टिकोण पर विशेष प्रशिक्षण और

गुणवत्ता निगरानी के प्रशिक्षण की सिफारिश की जाती है।

- समिति ने सिफारिश की है कि प्रशिक्षण मूलक आवश्यकता आकलन (टीएनए) का संचालन किया जाए, प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त विषयों को तैयार किया जाए और अन्य संस्थानों के साथ साझेदारी को पंचायत प्रणाली की समग्र सीमा के तहत विभिन्न कर्मियों के प्रभावी कामकाज के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- एसएचजी के गांव संगठनों के नेताओं को ग्राम पंचायतों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित और निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायतों के अधिकारियों को समान भागीदारों के रूप में उनके साथ काम करने के लिए संवेदनशील किया जाना चाहिए। कार्यात्मक समितियों और स्थायी समितियों के सदस्यों को उनकी अपेक्षित भूमिका निभाने के लिए उन्हें अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सीआरपी को अच्छे शासन और सामाजिक उत्तरदायित्व के मांग पक्ष को मजबूत करने के लिए नागरिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। गरीबी के मुद्दों को हल करने में सेवाओं और कार्यक्रमों का अभिसरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क में नैतिकता और उत्तरदायित्व, जलवायु परिवर्तन, विकास की स्थिरता और संभावित स्थानीय कार्रवाई जैसे विषयों को शामिल करना चाहिए। महिलाओं, बच्चों, वृद्ध, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर आदि से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों में सामाजिक संवेदनाएं स्थापित करने की जरूरत है। समिति भी प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने, निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ संस्थानों को प्रशिक्षण देने और उन्हें मजबूत करने में कर्मियों को शामिल करने की भी सिफारिश करती है।
- समिति ने सिफारिश की है कि ग्राम पंचायतों को विभिन्न विभागों के मानव संसाधनों के साथ जोड़ा जा सकता है। एमजी एनआरईजीएस (मनरेगा) के तहत विविध कार्यों के लिए, विभिन्न संबंधित विभागों के मानव संसाधनों का औपचारिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। सरकारी विभाग में अतिरिक्त क्षमता के मामले में ग्राम पंचायत औपचारिक रूप से उस क्षमता तक पहुंचने में सक्षम होनी चाहिए। कार्यों और काम के लिए भुगतान के मामले में ग्राम पंचायत को निर्णय लेने वाला प्राधिकारी होना चाहिए।
- उन्नत भारत अभियान (यूबीए) को सर्वेक्षण और अध्ययन, स्थानीय आयोजनाओं की तैयारी, जीएस के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए पंचायतों को औपचारिक समर्थन प्रदान करना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों के साथ अभिसरण के लिए ढांचे को राज्य के पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभागों और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से रखा जा सकता है।
- सभी ग्रामीण सीएसआर परियोजनाओं को उनके कार्यान्वयन में स्थानीय पंचायतों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह स्थिरता के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, ये कंपनियां पात्र ग्राम पंचायतों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सीधे या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से पेशेवरों का समर्थन कर सकती हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देश को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सीएसआर पहल के लिए इन सुझावों को उचित रूप से शामिल किया जा सकता है।
- उत्कृष्ट संस्थानों जैसे आईसीएआर और सीएसआईआर जो विशेष रूप से भारत सरकार के अंतर्गत हैं, को अपने क्षेत्रीय केंद्रों के इलाके में तत्काल ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। इन संस्थानों को उनके नियमित पहुंच (आउटरीच) कार्यक्रमों में ऐसे समर्थन को संस्थागत बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- विशेष रूप से जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विकास जैसे क्षेत्रों में पेशेवर समर्थन प्राप्त करने के लिए पंचायतों के बीच क्षैतिज अभिसरण जिसमें वे स्वयं को क्लस्टर और पूल संसाधनों में समूहित कर सकते हैं, की सिफारिश की जाती है।
- अभिसरण के नियम और शर्तों को सरकारी आदेशों के रूप में स्पष्ट रूप से निर्धारित और जारी करना होगा। ग्राम पंचायत की स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति को बरकरार रखते हुए अभिसरण के तरीके और प्रकृति पर औपचारिक क्षमता निर्माण हेतु सिफारिश की जाती है।

● प्रस्तुति : प्रवीण पाण्डे

ग्राम पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचएजीएच) नेटवर्क के बीच साझेदारी के लिए दिशा-निर्देश

पंचायती राज को 1993 में एक संवैधानिक अधिदेश दिया गया था। लगभग उसी समय नाबार्ड द्वारा समर्थित महिलाओं के एसएचजी उभरने लगे थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय सरकार और गरीबों के संस्थानों के बीच ज्यादा तालमेल विकसित नहीं हुआ है। चूंकि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के जुड़वां कार्यों को सौंपा गया है, इन कार्यों को निष्पादित करने के लिए, स्वाभाविक रूप से समुदाय आधारित संगठनों, विशेष रूप से गरीबों के साथ घनिष्ठ साझेदारी की आवश्यकता होती है।

यह मानते हुए कि पंचायतों, विशेष रूप से ग्राम पंचायत और महिलाओं के एसएचजी, विशेष रूप से ग्राम संगठनों (वीओ) के बीच एक प्रभावी और कार्यात्मक कार्य संबंध की आवश्यकता है, स्थानीय सरकारों और गरीबों के संगठन के बीच औपचारिक संबंध बनाने के लिए एनआरएलएम ढांचे को संशोधित किया गया था।

चूंकि देश भर में पंचायतों की शक्तियां और अधिकार काफी भिन्न हैं, इसलिए साझेदारी को कार्यान्वित करने के लिए एक तरह का ढांचा सही नहीं होगा। इसलिए, एनआरएलएम ने विभिन्न स्थितियों में क्षेत्र परीक्षणों के आधार पर कार्यविधियां तैयार करने के लिए छह राज्यों में पायलेट योजनाएं शुरू की। पायलेट योजना के शुरुआती नतीजे बताते हैं कि साझेदारी का मंच संदर्भ विशिष्ट होगा। यह परस्पर लाभकारी है और इसका नतीजा सकारात्मक है।

यह जानते हुए भी कि एमजीएनआरईजी गरीबों के लिए फायदेमंद रहा है, लेकिन गरीबों की अपनी प्राथमिकताओं का निर्णय लेने और उनकी आजीविका को सीधे बढ़ाने के लिए कार्य की सहभागितापूर्ण आयोजना

और योजना की मांग सीमित थी इसलिए गहन भागीदारी योजना (आईपीपीई) शुरू की गई थी।

पहली बार, श्रम बजटन की तैयारी में एसएचजी और उसके संघों को केंद्रीय भूमिका दी गई। चूंकि एमजीएन-आरईजीएस के तहत बड़े पैमाने पर काम ग्राम पंचायत द्वारा योजनाबद्ध और कार्यान्वित किया जा रहा है, इससे एक जुड़ाव आया है।

चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) द्वारा ग्राम पंचायतों को पर्याप्त धन के अंतरण के साथ, राज्यों ने ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर विभिन्न स्थितियों में आदेश दिया है और एमजीएनआरईजीएस ग्राम पंचायतों को पर्याप्त संसाधन प्रदान करता है। चूंकि फोकस सहभागितापूर्ण आयोजना पर है, इसलिए एसएचजी नेटवर्क को शामिल करना जरूरी है ताकि गरीबों को स्थानीय विकास में उनका हिस्सा मिल सके।

उद्देश्य

ग्राम पंचायत और एसएचजी के बीच साझेदारी के उद्देश्य हैं:

1. गरीबों को उनके अधिकारों, अधिकारों की मांग करने और उन्हें पाने की जानकारी के लिए सशक्त बनाना।
2. स्थानीय विकास प्रक्रिया में समुदाय के गरीब और कमजोर वर्गों को शामिल करने और उन्हें इससे लाभ उठाने में सक्षम बनाना।
3. स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत को प्रतिक्रियाशील और उत्तरदायी बनाना।
4. स्थानीय स्तर के विकास को बढ़ावा देना, इसे सहभागी और समावेशी बनाना।
5. नागरिक भागीदारी के माध्यम से ग्राम पंचायत को मजबूत बनाना।

साझेदारी का औचित्य

1. रणनीतिक रूप से, एसएचजी और

उनके संघ लोकतांत्रिकी शक्ति के कार्यकलापों को सीखेंगे और सहभागितापूर्ण आयोजना के माध्यम से निर्णयों को प्रभावित करेंगे। इससे उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी और उन्हें अवसरों का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। इससे सामूहिक निर्णय लेने के लिए स्थानीय रूप से प्रासंगिक मानदंडों को विकसित करने में मदद मिलेगी, खास तौर पर ग्राम सभा में, सार्वजनिक कार्य के लिए सार्वजनिक कार्रवाई को बढ़ावा दे सकती है।

2. व्यवहारिक रूप से, यह एसएचजी को स्थानीय योजना, विशेष रूप से एमजीएनआरईजीएस से काम और आजीविका, एफएफसी अनुदान से बुनियादी सेवाओं, प्रधान मंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से मूलभूत आवश्यकताओं आदि से सीधे लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा।
3. पंचायतों के दृष्टिकोण से, यह भागीदारी को बढ़ाकर और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मजबूत करके लोकतंत्र को व्यापक और सघन कर देगा। बराबरी की शर्तों पर गरीबों के साथ मिलकर संलग्न होने से ग्राम पंचायतों की वैधता और स्थिति में वृद्धि होगी।
4. इसके अलावा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए एसएचजी नेटवर्क का उपयोग खास तौर से स्थानीय स्तर की योजना बनाने में सुधार, आउटरीच, विस्तार और सेवा वितरण के साथ-साथ फीड-बैक के लिए भी उनका प्रयोग कर सकते हैं।

इस प्रकार, साझेदारी परस्पर लाभकारी होगी और इसके लिए सक्रिय रूप से सक्षम होने की आवश्यकता है।

साझेदारी के अंतर्निहित सिद्धांत

पंचायतों और एसएचजी के बीच साझेदारी स्पष्ट सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।

उन सिद्धांतों में शामिल हैं :

- स्थानीय स्व-सरकार की संस्थाओं के रूप में पंचायतों की स्वीकृति।
- स्पष्ट अधिकारों और कार्यों के साथ गरीबों के स्वायत्त संस्थानों के रूप में एसएचजी और उनके संघ को पहचानना। किसी भी परिस्थिति में पंचायतों द्वारा उनकी स्वायत्तता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
- पंचायत और एसएचजी दोनों को जानकारी साझा करने, परामर्श और संवाद आयोजन के माध्यम से कार्यों, जिम्मेदारियों और एक दूसरे की गतिविधियों के विवरण जानने का पूरा अधिकार है।
- एक समय पर काम करना अनिवार्य है लेकिन यह मानकों और मानदंडों के आधार पर पारदर्शी और नियम आधारित प्रणाली के तहत हो।
- साझेदारी को कार्यात्मक और सुगम बनाने के लिए, संरचनात्मक, वित्तीय, विकास जुड़ाव आदि के लिए काम करने की आवश्यकता है।

साझेदारी को साकार करने के लिए आयोजना प्रक्रिया

एसएचजी को ग्राम पंचायत स्तर की योजना की प्रक्रिया में औपचारिक रूप से शामिल और एकीकृत किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है :

1. एसएचजी और उनके संघों को एसईसीसी डेटा और सहभागी आकलन के आधार पर अपनी गरीबी और आजीविका की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। उन्हें ग्राम पंचायत में गरीबी की प्रोफाइल विकसित करनी चाहिए।
2. इसके बाद वे मुख्य कारणों और समाधानों को इंगित करने वाले मैट्रिक्स को विकसित कर सकते हैं।
3. इसके आधार पर, ग्राम पंचायत के परामर्श से गरीबी में कमी की योजना को जीपीडीपी के हिस्से के रूप में तैयार किया जा सकता है, एमजीएनआरईजीएस, एफएफसी अनुदान और ग्राम पंचायत द्वारा एकत्रित अन्य धन से संसाधनों को आकर्षित किया जा सकता है। इस योजना का ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर लागू होने वाले अन्य गरीबी कार्यक्रमों के साथ भी अभिसरण किया जा सकता है। कमजोर (गरीब) क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं

और बुनियादी ढांचे का पता लगाने के लिए ग्राम पंचायत को आश्वासन के माध्यम से और मजबूत किया जा सकता है।

4. इसके अलावा, एसएचजी और उनके संघों को जीपीडीपी के लागत रहित विकास घटकों में जैसे कि पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच, विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में अंतिम लिंक प्रदान करना और सामाजिक बुराइयों को संबोधित करने में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।

ग्राम पंचायतों की भूमिका

1. गरीबों की सहभागितापूर्ण पहचान करने, उनके सामाजिक संघटनीकरण और फिर एसएचजी के रूप में संस्था निर्माण और गांव संगठनों के रूप में संचालन करने में सहायता और समर्थन।
2. जरूरतों और प्राथमिकताओं पर एसएचजी के भीतर पूर्व चर्चा के बाद जानकारीपूर्ण भागीदारी के माध्यम से ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए एसएचजी और उनके संघों का सावधानीपूर्वक और औपचारिक रूप से उपयोग।
3. स्थानीय स्तर की नियोजन प्रक्रिया में विशेष रूप से गरीबी में कमी से संबंधित मामलों में एसएचजी और उनके संघों का सक्रिय रूप से उपयोग।

सेवाओं का उपयोग :

- सामाजिक संघटन के लिए।
- सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए।
- सहभागितापूर्ण आयोजना की टीम सदस्य के रूप में।
- पीआरए कार्यों के संचालन के लिए।
- सहभागितापूर्ण हकदारी आकलन (एंटाइटलमेंट्स, पीएई), सहभागितापूर्ण गरीबी आकलन (पीपीए) और आयोजना के लिए आधारभूत जानकारी के रूप में सहभागितापूर्ण गरीबों की पहचान (पीआईपी) पर विचार करने के लिए।
- ग्राम सभा को प्रस्तुत विकास रिपोर्ट में माइक्रो क्रेडिट प्लान (एमसीपी) और कमजोरी (भेद्यता) में कमी योजना को शामिल करने के लिए।
- ग्राम सभा से पहले महिला सभा और वार्ड सभा में भाग लेने के लिए।

4. ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजना के हिस्से के रूप में गरीबी में कमी की योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसमें एसएचजी की मांगों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
5. एमजीएनआरईजीएस में श्रमिकों की पहचान, काम की मांग, श्रम बजट तैयार करने आदि जैसे कामों में एसएचजी और उनके संघों को विशिष्ट भूमिकाएं दी जाएं।
6. व्यवहार परिवर्तन, विकास की प्रौद्योगिकियों के बारे में सूचना का प्रसार, लक्षित समूहों तक विकास संदेशों का संचार और विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के बारे में जानकारी देने या इसके लिए लोगों तक पहुंच बनाने में विशेष रूप से एसएचजी का उपयोग करें।
7. समुदाय आधारित निगरानी, विशेष रूप से सेवा वितरण और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के विशिष्ट संदर्भ के साथ विकास संबंधी हस्तक्षेप के प्रदर्शन के लिए एसएचजी का उपयोग करें।
8. स्थानीय रूप से उपयुक्त पात्र के रूप में सामुदायिक अनुबंध के माध्यम से एसएचजी और उनके संघों को कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारियां सौंपने पर भरोसा करें।
9. उचित उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने की स्वतंत्रता के साथ उपयोगिता और परिसंपत्तियों के संचालन और रख-रखाव (ओ एंड एम) के लिए एजेंसियों के रूप में एसएचजी का उपयोग करें।
10. एसएचजी के बीच से सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को उचित पारिश्रमिक पर विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार करें।
11. आजीविका गतिविधियों के लिए एसएचजी को तालाब, सार्वजनिक भूमि इत्यादि का पट्टा दें।
12. सहभागितापूर्ण आकलन और लैंगिक स्थिति, बच्चों की स्थिति, गरीबी विश्लेषण, निराशा की स्थिति

इत्यादि जैसे अध्ययनों में एसएचजी का प्रयोग करें।

13. स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता इत्यादि के स्थानीय अभियानों के लिए एसएचजी का प्रयोग करें।
14. शराब और नशीले पदार्थों के सेवन, सिर पर मैला ढोने (मैनुअल स्कावेन्जिंग), बाल विवाह, बाल श्रम, महिलाओं की तस्करी आदि जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए एसएचजी की सामाजिक पूंजी का उपयोग करें।
15. सामान्य सेवा केन्द्रों को चलाने खासकर आईटी आधारित सेवाओं को वितरित करने और वित्तीय समावेशन के लिए एसएचजी का उपयोग करें।
16. एसएचजी को सामाजिक लेखा परीक्षा करने की अनुमति दें।
17. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ एसएचजी को निकटता के साथ काम करने की सुविधा दें।
18. उचित भुगतान पर एसएचजी को शासन से संबंधित कार्यों को आउटसोर्स करें।
19. सौंपे गए कार्यों को करने के लिए एसएचजी का क्षमता निर्माण करें।
20. पंचायत कार्यालय में ग्राम संगठन को जगह प्रदान करें।
21. एसएचजी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए धन उपलब्ध कराएं।
22. विभिन्न विकास कार्यों के लिए एसएचजी का पक्ष समर्थन।
23. कार्यात्मक समितियों और अन्य ग्राम पंचायत स्तर समितियों में एसएचजी और उनके संघों को शामिल करें।
24. एसएचजी और उनके संघों के साथ साझेदारी योजना तैयार करें।
25. एसएचजी की मांगों पर चर्चा के लिए कम से कम तीन महीने (तिमाही) पर एक बार एसएचजी के फेडरेशन के साथ पंचायत की संयुक्त बैठकों की सुविधा प्रदान करें।

एसएचजी और उनके संघों की भूमिका

1. ग्राम पंचायत से एसएचजी गठन के सामाजिक जुड़ाव में और एसएचजी में लाने के लिए समुदाय के बाकी बचे और कमजोर वर्गों की पहचान के लिए समर्थन करें।
2. गरीबों की सहभागितापूर्ण पहचान (पीआईपी) करने के लिए ग्राम पंचायत के साथ काम करें और ग्राम सभा में अनुमोदित प्रक्रिया प्राप्त करें।
3. ग्राम सभा में सक्रिय रूप से एसएचजी और एसएचजी फेडरेशन में एमजीएनआरईजीएस के तहत काम और परिसंपत्तियों तक पहुंच और जीपीडीपी से लाभ के रूप में सहमत समेकित मांगों के साथ सक्रिय रूप से भाग लें।
4. ग्राम पंचायतों को प्रचार में उनकी मदद करके, ग्राम सभा आयोजित करने, चर्चाओं और दस्तावेजीकरण को सुविधाजनक बनाने में सहायता करें।
5. ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार्य फायदेमंद सहयोग के लिए सुझाए गए कार्यों को निष्पादित करें।
6. ग्राम पंचायतों की सभी कार्यात्मक समितियों में भाग लें।
7. उपयुक्त फीस का दावा करके करों, घरों के कर संग्रह, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संचालन और पाइप पेयजल की आपूर्ति, ई-सेवाओं इत्यादि के रख-रखाव के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सौंपी गई सेवा वितरण जिम्मेदारियां लें।
8. ग्राम पंचायत परियोजना कार्यान्वयन के समुदाय आधारित निगरानी तंत्र में भाग लें।
9. एसएचजी के लिए आजीविका आधार के रूप में, ग्राम पंचायत के सामान्य संसाधनों (जैसे मछली तालाब, निहित भूमि, आम गुण, बाजार यार्ड इत्यादि) के सामान्य संसाधनों तक पहुंचने के लिए ग्राम पंचायत के साथ काम करें।
10. लैंगिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए ग्राम पंचायत की सहायता करें और सुनिश्चित करें कि समुदाय की लैंगिक आवश्यकताओं को स्थानीय योजना में दर्शाया गया है।
11. ग्राम पंचायत से उपलब्ध जानकारी और उपलब्ध सरकारी सेवाओं और

योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर एसएचजी सदस्यों के बीच प्रसारित करें।

12. प्रत्येक एसएचजी में हकदारी (एंटाइटेलमेंट्स) का सहभागितापूर्ण आकलन (पीएई) और वीओ और ग्राम पंचायत स्तर पर समेकित करना और ग्राम पंचायत में हकदारी (एंटाइलटेलमेंट्स) पहुंच योजना (ईएपी) तैयार करना।
13. एसएचजी की मांगों को प्राप्त करने के लिए जीपीडीपी प्रक्रिया की गतिविधि शामिल होना।
14. ग्राम पंचायत और अन्य हितधारकों के सहयोग से ग्राम पंचायत गरीबी कमी करने की योजना को तैयार करने का नेतृत्व करें और यह सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत और अन्य संबंधित विभागों से पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करें।
15. साझेदारी को कार्यान्वित करने के लिए कार्य योजना तैयार करें।
16. निश्चित तारीखों पर ग्राम पंचायत के साथ संयुक्त बैठक के लिए समन्वय।
17. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को एसएचजी के सदस्यों के रूप में नामांकित करें और उनका सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के रूप में पोषण करें।
18. विकास संबंधी मुद्दों पर पंचायतों के साथ नियमित बातचीत करें।
19. संयुक्त परियोजनाओं के संबंध में एसएचजी के कामकाज पर जानकारी प्रदान करें।
20. माइक्रो योजनाओं की तैयारी करते समय ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय और औपचरिक वित्तीय सहायता की तलाश करें।
21. आयोजना और कार्यान्वयन तथा सदस्यों द्वारा लाभ प्राप्त करने, समीक्षा और निगरानी में भागीदारी करने के लिए एसएचजी और संघों की सभी नियमित बैठकों में एक अलग एजेंडा के रूप में पंचायत-एसएचजी साझेदारी को जोड़ें। एजेंडा में ग्राम सभा, जीपीडीपी, गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत, एमजी एनआरईजीएस, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम पंचायतों की कार्यशील समितियों में कार्य, ग्राम स्वास्थ्य योजना, आईसीडीएस इत्यादि शामिल हो सकते हैं।

साझेदारी की सुगमता

राज्य सरकार की भूमिका

राज्य सरकारों को निम्न के अनुसार साझेदारी को सक्रिय रूप से सुविधाजनक बनाना है :

1. वीओ और ग्राम पंचायतों के बीच भौगोलिक अनुरूपता लाने के लिए यानी एक ग्राम पंचायत में एक या पूर्णांक में वीओ होने चाहिए।
2. पंचायत कार्यालय के भीतर वीओ के लिए कार्यालय स्थान प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत को निर्देशित करें। यदि मौजूदा स्थान पर्याप्त नहीं है तो जगह बनाने के लिए एमजी एनआरईजीएस का उपयोग किया जा सकता है।
3. ग्राम पंचायत के नियंत्रण में तालाब, चरागाह भूमि जैसी सामान्य संपत्तियों से लाभ उठाने के लिए एसएचजी को सक्षम करने के लिए आदेश जारी करना।
4. ग्राम पंचायत स्तर की आयोजना के हिस्से के रूप में, गरीबी में कमी योजना की तैयारी के लिए एसएचजी को केंद्रीय भूमिका दिए जाने हेतु प्रक्रिया तैयार करना।
5. ग्राम पंचायत स्तर विकास योजना के लिए योजना शर्तों में एसएचजी से सह-चयन सीआरपी जिसमें एमजीएनआरईजीएस शामिल होंगे।
6. स्पष्ट मानदंडों के आधार पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए ग्राम सभा की सहायता करने में एसएचजी को औपचारिक रूप से जिम्मेदारियां सौंपें।
7. सुनिश्चित करें कि सभी योग्य निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को एसएचजी के सदस्य बनाया गया है।
8. ग्राम पंचायत और एसएचजी और उनके संघों के बीच साझेदारी को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधि को विशेष रूप से आंतरिक सीआरपी के रूप में उपयोग करें।
9. स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि के लिए पंचायत और एसएचजी के संयुक्त अभियान आयोजित करें।
10. गरीबी में कमी और महिलाओं के मुद्दों को हल करने वाली ग्राम पंचायत की कार्यात्मक समिति में एसएचजी और उनके संघीय

कार्यकर्ताओं को शामिल करें।

11. वीओ को सभी ग्राम स्तरीय समितियों में औपचारिक सदस्यता दें।
12. ग्राम पंचायतों के साथ सालाना कम से कम दो बार वीओ की नियमित बातचीत के लिए एक मंच तैयार करें जिसमें वीओ जरूरतों को समझाएगा और ग्राम पंचायत इसके विकास संबंधी समर्थन को औपचारिक रूप से लागू करेगी। यह ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप देने से पहले होना चाहिए।
13. साझेदारी की निगरानी के लिए वीओ और ग्राम पंचायत के नेताओं (अग्रणी व्यक्तियों) से मिलकर संयुक्त समितियां स्थापित करें।
14. साझेदारी और पद्धतियों की आवश्यकता को समझाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और वीओ नेताओं (अग्रणी व्यक्ति) के संयुक्त प्रशिक्षण का संचालन करें।
15. पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में एसएचजी विशेष रूप से ग्रामसभा को मजबूत करने और उनकी क्षमता को उचित रूप से निर्मित करने में शामिल हो सकते हैं।
16. यदि आवश्यक हो तो समस्याओं को दूर करने (ट्रबल शूटिंग) के लिए ब्लॉक स्तर पर एक समिति की स्थापना की जा सकती है।

एसआरएलएम की भूमिका

ऊपर बताई गई भूमिकाओं में राज्य सरकार के समर्थन के अलावा, एसआरआईएम को निम्नलिखित कार्य करने की जरूरत है-

1. बीएमएमयू, डीएमएमयू और एसआरएलएम के एक अधिकारी को विशेष रूप से भागीदारी की सुविधा के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपें।
2. सभी हितधारकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए फेडरेशन अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर सक्षम सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों या स्थानीय संसाधन समूहों का विकास करें।
3. ब्लॉक स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार करें।
4. जीपीडीपी और एमजीएनआरई जीएस के लिए एक सामान्य राज्य संसाधन टीम बनाएं।
5. ब्लॉक स्तर पर समेकित हकदारी (एंटाइटेलमेंट) योजना को आवधिक सत्यापन और निगरानी के लिए एमआईएस पर अपलोड किया जाना चाहिए।
6. अच्छी तरह से विकसित आईईसी सामग्री की सहायता से एसएचजी नेताओं और ग्राम पंचायत नेताओं को आवश्यक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का संचालन करें।
7. एनआरएलएम पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों (विशेष रूप से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों) को प्रशिक्षित करें और उन्हें एसएचजी के साथ मिलकर काम करने के कार्य के महत्व को समझाएं।
8. बीएमएमयू साझेदारी गतिविधियों की समीक्षा और निगरानी कर सकता है और समय-समय पर डीएमएमयू और एसएमएमयू को रिपोर्ट कर सकता है। राज्य स्तरीय संचालन समिति रिपोर्ट की जांच कर सकती है और एसआरएलएम और पंचायती राज विभाग को सलाह दे सकती है।

राज्य सरकारों के अनुवर्ती कार्य

1. साझेदारी को साकार करने के लिए राज्य विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं। यह सभी संसाधन खंडों में तुरंत कार्यान्वित किया जा सकता है। नए ब्लॉक जो एनआरएलएम के तहत लाए जाते हैं वहां गतिविधि शुरुआत से शुरू होनी चाहिए। जबकि एसएचजी की संस्था निर्माण ग्राम पंचायतों के साथ संबंध को सार्थक और सहानुभूतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए।

2. राज्य एनआरएलएम या राष्ट्रीय संसाधन संगठन के राष्ट्रीय मिशन यूनिट जैसे केरल के कुडुम्बश्री से तकनीकी सहायता लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
3. राज्य जहां साझेदारी की कल्पना की गई है वहां गहन ब्लॉक में वीकन पंचायत विकसित कर सकते हैं। वे सीखने के लिए अन्य ग्राम पंचायतों और वीओ के अभ्यास के स्कूल के रूप में कार्य कर सकते हैं।
4. जीपीडीपी के लिए गठित राज्य

स्तरीय संचालन समिति को इस अभ्यास को समन्वयित करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है क्योंकि यह उपयुक्त रूप से एसआरएलएम को शामिल करता है।

वांछित परिणाम और उत्पाद

1. वांछित उत्पाद

ग्राम पंचायत-एसएचजी साझेदारी पहलों को स्पष्ट और मापनीय आउटपुट का कारण बनना चाहिए। आउटपुट की एक सूचक सूची-

- एसएचजी परिवारों और समुदायों की व्यक्तिगत हकदारी, सामुदायिक सेवाओं, सार्वजनिक सामान और सामाजिक सुरक्षा में बढ़ी हुई पहुंच। उदाहरण के लिए : एमजी एनआरईजीएस जॉब कार्ड, एमजी एनआरईजीएस काम और संपत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तक पहुंच, स्कूलों और आंगनवाड़ी के उचित कामकाज, मध्यान्ह-भोजन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और खाद्य अधिकारी अधिनियम के तहत पात्रता सुनिश्चित करने, टीकाकरण में वृद्धि, संक्रमणीय घटनाओं में कमी, रोग आदि।
- साझेदारी प्लेटफॉर्म और सक्रिय सामुदायिक कार्यकर्ताओं के नियमित कार्य।
  उदाहरण के लिए : कार्यकारी समितियों की नियमित बैठक और समितियों में एसएचजी सदस्यों की भागीदारी का स्तर, ग्राम पंचायत आदि के लिए सामुदायिक कैडर के रूप में काम कर रहे एसएचजी सदस्यों की संख्या।
- ग्राम सभा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और विभिन्न संस्थागत और विकास समितियों जैसे आंगनवाड़ी माताओं की समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, ग्राम स्वास्थ्य समिति, जल और स्वच्छता समितियां इत्यादि।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में गरीबी न्यूनीकरण योजना, वीओ के साथ ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाए।
- वितरण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा एसएचजी को सौंपी गई सेवा।
- सीआरपी के रूप में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या।
- ग्राम पंचायत द्वारा एसएचजी और उनके संघों को प्रदान की गई निधि।

2. परिणाम

मध्यम से दीर्घ कालिक कुछ परिणामों की अपेक्षा की जाती है। इसमें शामिल हैं -

- ग्राम पंचायत से स्थानीय आर्थिक विकास में वृद्धि, गरीबी में कमी।
- गरीबी के मुद्दों पर और सामुदायिक संस्थानों के काम करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की बढ़ी हुई क्षमता और संवेदनशीलता।
- साझेदारी गतिविधियों की योजना बनाने और निगरानी करने के लिए संयुक्त संस्थागत प्लेटफॉर्म की सतत् कार्य प्रणाली।
- स्थानीय सरकारों में निर्वाचित पदों सहित सार्वजनिक संस्थानों और कार्यालयों तक पहुंच के लिए महिलाओं की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ना।

मध्यप्रदेश में ग्राम सभा के सशक्तिकरण के प्रयास

भारत के संविधान का 73वां संशोधन पंचायत राज व्यवस्था के लिये एक मील का पत्थर साबित हुआ है इस संवैधानिक संशोधन में पंचायत राज व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिये किये गये प्रयासों के अन्तर्गत ग्राम सभा को निचले स्तर पर प्रभावशाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया है।

243-क. ग्राम सभा- ''ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी जो राज्य के विधान मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किए जाऐं।''

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य का पंचायत राज अधिनियम तैयार कर प्रदेश में म.प्र. पंचायत राज अधिनियम के रूप में प्रदेश में महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति से 26 जनवरी 1994 से पूरे राज्य में प्रभावशील किया गया।

प्रदेश के पंचायत राज अधिनियम में ग्राम सभा व्यवस्था के लिये निम्न प्रावधान किए गए हैं-

5.क	ग्राम सभा का गठन और नियमन
6.	ग्राम सभा का सम्मिलन
6.क	ग्राम सभा का विशेष सम्मिलन
6.ख	ग्राम सभा का सचिव
6.ग(1)	ग्राम सभा का विनिश्चय
7.	ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य और उसका वार्षिक सम्मिलन
7.क	ग्राम सभा की स्थायी समिति तथा तदर्थ समिति
7.ख	समिति के सभापति तथा सदस्य
7.ग	लुप्त
7.ध	समिति की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य
7.ङ	सदस्य का हटाया जाना
7.च	ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति की शक्तियां
7.छ	स्थायी समिति का सचिव
7.छ-क	ग्राम सभा की दीर्घकालिक विकास योजना का तैयार किया जाना
7.छ-ख	ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही
7.ज	ग्राम सभा के विनिश्चय के विरुद्ध समिति को अपील
7.झ	ग्राम सभा का बजट
7.ञ	ग्राम कोष

7.ट लेखा तथा संपरीक्षा
7.ठ ग्राम सभा का सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण
7.ड ग्राम सभा के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति

प्रदेश के पंचायत राज अधिनियम में जनवरी 2001 से ग्रामस्वराज व्यवस्था के प्रावधान जोड़े जाकर ग्राम सभा को बृहद स्वरूप दिया गया। ग्रामस्वराज व्यवस्था के अन्तर्गत मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम में वर्ष 1993 से अब तक समय समय पर किए गये प्रावधानों का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया है जिसके अनुसार प्रदेश में ग्रामस्वराज व्यवस्था के लिये कब कब क्या-क्या संशोधन किए गए हैं उनका विवरण निम्नवत् है-

संविधान के अनुच्छेद 243-क के प्रावधान अनुसार प्रदेश के पंचायत राज अधिनियम में प्रारम्भिक दौर में ग्राम सभा का स्वरूप एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी आश्रित ग्रामों को मिलाकर बनाया गया था। प्रत्येक ग्राम के लिये एक मतदाता सूची तैयार किये जाने का प्रावधान किया गया। ऐसा व्यक्ति जो उस ग्राम से संबंधित विधान सभा की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिये पात्रता रखता है या जिसका नाम उसमें प्रविष्ट है और जो मामूली तौर से उस क्षेत्र का निवासी है उस ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा।

ग्राम सभा का वर्ष में एक सम्मिलन का प्रावधान किया गया एवं ग्राम सभा के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित मांग किये जाने पर ग्राम सभा का सम्मिलन 30 दिन के भीतर बुलाये जाने का प्रावधान किया गया था। ग्राम सभा के सम्मेलन हेतु एक दशमांश सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति का प्रावधान किया गया था एवं गणपूर्ति न होने की दशा में स्थगित बैठक के लिये कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं रखी गई। ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता हेतु सरपंच, सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच एवं दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम के ऐसे सदस्य को जिसे उस दिन को अध्यक्षता करने के लिये बहुमत से निर्वाचित किया जावे द्वारा सम्मिलन की अध्यक्षता की जावेगी।

म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 में सितम्बर 1994 में निम्नवत् संशोधन किया गया -

- ग्राम सभा की वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले सम्मिलन के स्थान पर प्रत्येक तीन मास में ग्राम सभा का सम्मेलन आयोजित करने का संशोधन किया गया।
- इसके साथ ही यह भी संशोधन किया गया कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर विचार करे और ग्राम पंचायत, ग्राम सभा द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगी।

म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 में दिसम्बर 1995 में संशोधन किया जाकर निम्न प्रावधान किया गया-

- ग्राम सभा की बैठक सरंपच द्वारा नियमित अन्तराल में करने में असफल रहने पर वह सरपंच अपना पद धारण करने के लिये निरर्हित हो जायेगा। किन्तु सरपंच के विरुद्ध कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जावेगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जावे।

म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 में जनवरी 1997 में संशोधन किया जाकर निम्न प्रावधान किया गया-

ग्राम सभा के किसी सम्मिलन में ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक दशमांश सदस्यों से अन्यून सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिसमें से एक-तिहाई से अन्यून महिला सदस्य होंगी।

यदि सम्मिलन के लिए नियत किए गए समय पर गणपूर्ति के लिये आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं है तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति सम्मिलन को ऐसी आगामी तारीख तथा समय के लिए स्थगित कर देगा जैसा कि वह नियत करे और एक नई सूचना विहित रीति में दी जाएगी और ऐसे स्थगित सम्मिलन के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। परन्तु ऐसे सम्मिलन में किसी नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा।

म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 में दिसम्बर 1997 में संशोधन किया जाकर निम्न प्रावधान किया गया-

अधिनियम की धारा 7 में ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य तथा उसका वार्षिक सम्मिलन के अन्तर्गत ग्राम सभा को 16 कृत्य सौंपे गये थे।

म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 में अप्रैल 1999 में संशोधन किया जाकर निम्न प्रावधान किया गया-

ग्राम सभाओं के बीच उद्भूत कोई विवाद या ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट एक से अधिक ग्राम सभाओं से संबद्ध कोई मामले और ग्राम पंचायत से संबंधित लेखा, प्रशासन की रिपोर्ट आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास तथा अन्य कार्यक्रम, संपरीक्षा रिपोर्ट आदि के संबंध में ग्राम पंचायत के समस्त मामले उस ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मिलन के समक्ष लाए जायेंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त सामाजिक सेक्टरों में ऐसी संस्थाओं तथा ऐसे कृत्यकारियों पर, जो ग्राम पंचायत को अंतरित या ग्राम पंचायत के द्वारा नियुक्त किए गए हैं उस पंचायत के माध्यम से नियंत्रण, ग्राम के अन्दर के प्राकृतिक स्रोतों का जिनके अन्तर्गत भूमि, जल, वन, आते हैं संविधान के उपबन्धों और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों के अनुसार प्रबन्ध करना, ग्राम पंचायत को लघु जलाशयों के विनियमन तथा उपयोग

में सलाह देना, स्थानीय योजना पर तथा ऐसी योजनाओं के स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना।

संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243-क के प्रावधान को राज्य शासन ने पुनर्विचार करते हुए जनवरी 2001 में ग्राम सभा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 में व्यापक संशोधन करते हुए पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 के नाम से स्थापित किया। इस संशोधन में निम्नवत् प्रावधान ग्राम सभा व्यवस्था अन्तर्गत किये गये-

- ग्राम पंचायत के सभी गांवों को मिलाकर ग्राम सभा के स्वरूप में संशोधन करते हुए प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम सभा का प्रावधान किया गया। ग्राम सभा उसके लिये उक्त नाम से एक निगमित निकाय होगी उसका शाश्वत अधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगी तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उसे किसी जंगम या स्थावर संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने, संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति होगी।
- ग्राम सभा का प्रत्येक तीन माह में आयोजित होने वाले सम्मिलन की व्यवस्था में संशोधन करते हुए अब ग्राम सभा का प्रतिमाह कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान किया गया, जो ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा बुलाया जावेगा। ग्राम सभा के प्रथम सम्मिलन की तारीख, समय तथा स्थान सरपंच द्वारा तय किया जावेगा उसके बाद के सम्मिलनों की तारीख, समय व स्थान ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा तय किया जाने का प्रावधान स्थापित किया गया।
- ग्राम सभा के सम्मिलनों के लिये एक-दशमांश सदस्यों की उपस्थिति के स्थान पर कुल सदस्यों का एक-पंचमांश सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिसमें एक-तिहाई से अधिक महिला सदस्य होंगी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व ग्राम सभा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा और ग्रामसभा के प्रत्येक सम्मिलन में गणपूर्ति आवश्यक होगी।
- ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता हेतु सरपंच, सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच एवं दोनों की अनुपस्थिति में ऐसे पंच द्वारा की जावेगी जिसे उस दिन को अध्यक्षता करने के लिये बहुमत से निर्वाचित किया जावे।
- ग्राम सभाओं के बीच उद्भूत कोई विवाद या ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट एक से अधिक ग्राम सभाओं से सम्बद्ध कोई मामले उस ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मिलन के समक्ष रखा जावेगा।
- संयुक्त सम्मिलन में लिया गया निर्णय प्रयेक ग्राम सभा द्वारा लिया गया निर्णय समझा जावेगा ।
- ग्राम सभा के दस प्रतिशत या अधिक सदस्य या पचास सदस्य जो भी कम हो ग्राम सभा के विशेष सम्मिलन की मांग करने पर ऐसी सूचना प्राप्ति से सात दिन के भीतर विशेष सम्मिलन बुलाया जावेगा।
- ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होगा और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो ग्राम सभा द्वारा उसे बताये जावें ।
- ग्राम सभा के समक्ष लाए गए समस्त मामले यथासंभव एकमत से तय किये जावेंगे। इस प्रयास में असफल रहने पर उपस्थित सदस्यों की सामान्य सहमति से मामले तय किये जावेंगे। किन्तु जहां कोई मामला सामान्य सहमति से तय नहीं हो पा रहा है, वहां गुप्त मतदान से निर्णय लिया जावेगा ।
- ग्राम पंचायत को सौंपे गये उत्तरदायित्वों का हस्तान्तरण ग्राम सभा को कर लगभग 52 तरह के कार्य सौंपे गये हैं।
- ग्राम सभा में आठ स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त तदर्थ समिति भी समयबद्ध कार्यक्रम के लिए गठित करने का प्रावधान किया गया।
- ग्राम विकास समिति में नौ सदस्य एवं एक सभापति का प्रावधान किया गया जिसे सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जावेगा। सभापति की पदावधि एक वर्ष की होगी।
- ग्राम सभा की प्रत्येक समिति के कृत्य एवं शक्तियां तय की गईं। जिसके प्रति समिति की जवाबदारी भी तय की गई।
- ग्राम विकास समिति को ग्राम विकास की योजना बनाने का कार्य सौंपा गया एवं समिति द्वारा बनाई गई योजना ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया ।
- ग्राम विकास समिति से भिन्न प्रत्येक समिति दो-तिहाई बहुमत से अपना ग्राम सभा के सदस्यों में से किसी सदस्य को सचिव निर्वाचित करेगी।
- स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कार्यरत जनस्वास्थ्य रक्षक ग्राम सभा की स्वास्थ्य समिति का सचिव होगा।
- कोई व्यक्ति उस समिति का सचिव निर्वाचित नहीं किया जावेगा जिसका नातेदार रिश्तेदार उस समिति का सदस्य हो।
- ग्राम सभा के निर्णय के विरुद्ध, जनपद पंचायत के अध्यक्ष उस क्षेत्र की जनपद पंचायत के सदस्य और

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) से मिलकर बनने वाली समिति अपील समिति होगी।

- ग्राम सभा का प्रति वित्तीय वर्ष के लिये बजट उसके द्वारा तैयार किया जावेगा।
- ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत लगाये जाने वाले अनिवार्य कर एवं वैकल्पिक कर लगाने के अधिकार स्थानान्तरित किये गये।
- ग्राम सभा में ग्राम कोष स्थापित किया गया जिसमें अन्नकोष, श्रमकोष, वस्तुकोष एवं नगद कोष स्थापित करने का प्रावधान किया गया।
- ग्रामकोष में दान से प्राप्त आय, अन्य स्रोतों से आय, भू-राजस्व के आगम, भू-राजस्व पर उपकर, चराई फीस तथा शाला भवन उपकर की राशि, ग्राम सभा द्वारा अधिरोपित कर केन्द्रीय व राज्य शासन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के लिये प्राप्त अनुदान राशि आवंटित की जाने का प्रावधान किया गया ।
- ग्राम कोष का संचालन ग्राम विकास समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया।
- ग्राम कोष के संचालन हेतु ग्राम सभा द्वारा अपने सदस्यों में से कोषाध्यक्ष एवं सचिव को निर्वाचित करने का प्रावधान किया गया ।
- ग्राम सभाओं के लेखों का संपरीक्षक द्वारा अंकेक्षण करने का प्रावधान किया गया।
- ग्राम सभाओं को उनके क्षेत्र के शासकीय कर्मचारियों पर नियंत्रण का अधिकार सौंपा गया।

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में अक्टूबर 2001 में संशोधन किया जाकर निम्न प्रावधान किया गया-

- ग्राम सभा की बैठक हेतु नियत गणपूर्ति के एक-पंचमांश भाग में संशोधन कर एक-पंचमांश या एक हजार सदस्यों से गणपूर्ति का प्रावधान किया गया।
- ग्राम कोष का संचालन ग्राम विकास समिति द्वारा किया जाने का प्रावधान किया गया तथा ग्राम सभा की समस्त राशि ग्राम सभा के अनुमोदन से ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष (सरपंच) तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित किये जाने का प्रावधान किया गया।
- ग्राम कोष से आहरित समस्त राशि के संबंध में जानकारी ग्राम सभा के आगामी सम्मिलन में रखे जाने का प्रावधान किया गया ।

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में दिसम्बर 2004 मे निम्नवत् संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि-

- ग्राम सभा प्रतिमाह आयोजित की जाने वाली बैठकों के प्रावधान को

समाप्त कर प्रति वर्ष कम से कम जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर में एक-एक सम्मिलन आयोजित करने का संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा का अतिरिक्त सम्मिलन भी बुलाया जाने का प्रावधान किया गया।

- ग्राम सभा के सम्मिलनों की समुचित व्यवस्था के लिये जिला कलेक्टर द्वारा एक शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया।
- ग्राम सभा में आठ स्थायी समितियों के प्रावधान में संशोधन करते हुए उसके स्थान पर केवल दो समितियों-ग्राम निर्माण समिति एवं ग्राम विकास समिति के गठन का प्रावधान किया गया।
- ग्राम निर्माण समिति व ग्राम विकास समिति को संयुक्त रूप से ग्राम के विकास की योजना तैयार करने का दायित्व सौंपा गया जिसे तैयार कर वे उसे ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। ग्राम सभा उसे प्राप्त होने वाली दस वर्षों की राशि का अनुमानित मूल्यांकन कर विशेषज्ञों की सहायता से ग्राम विकास के लिए दस वर्षीय दीर्घकालिक योजना तैयार करेगी और उसे अनुमोदित करेगी।
- ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष (सरपंच) तथा कोषाध्यक्ष द्वारा ग्राम कोष से राशि आहरित किये जाने के प्रावधान में संशोधन कर उसके स्थान पर ग्राम निर्माण समिति का अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत का सचिव के माध्यम से ग्राम कोष से राशि आहरित करने का प्रावधान किया गया।
- ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की जाने के लिये भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाने का प्रावधान किया गया है।
- पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदधारी, अधिकारी या सेवक पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति के किसी धन या अन्य संपत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए, जिसमें वह एक पक्ष रहा है या जो उसके द्वारा अवचार के या उसके कर्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा के कारण हुई है, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। वह रकम ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन की प्रतिपूर्ति करने के लिए अपेक्षित है, विहित प्राधिकारी द्वारा वसूल की जावेगी :

  परन्तु इस धारा के अधीन कोई वसूली तब तक नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।
- जहां विहित प्राधिकारी की यह राय हो कि कोई व्यक्ति पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति का कोई अभिलेख या वस्तुएं या धन अपनी अभिरक्षा में अप्राधिकृत रूप से रखे हुए है तो वह, लिखित आदेश द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा अभिलेख या वस्तुएं या धन, ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में जिसे विहित प्राधिकारी इस संबंध में नियुक्त करें, पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति को तुरन्त परिदत्त या संदत्त कर दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति अभिलेख या वस्तुएं परिदत्त नहीं करता है या धन का संदाय नहीं करता या ऐसा करने से इंकार करता है तो विहित प्राधिकारी उसे गिरफ्तार करवा सकेगा और उसे वारन्ट के साथ जो ऐसे प्रारूप में होगा, जो विहित किया जाए, सिविल जेल में 30 दिन से अधिक न होने वाली, कालावधि के लिए परिरुद्ध रखे जाने के लिए भेज सकेगा।

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 में अगस्त 2005 मे निम्नवत् संशोधन किया गया-

- ''ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मिलन के लिए पूर्व की व्यवस्था में संशोधन कर ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-दशमांश से अन्यून सदस्यों या ग्राम सभा के कम से कम पांच सौ सदस्यों, इनमें से जो भी कम हो, से गणपूर्ति होगी का प्रावधान किया गया।''

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 में मई 2007 में निम्नवत् संशोधन किया गया-

- ग्राम निर्माण समिति, ग्राम पंचायत के एक अभिकरण (एजेन्सी) के रूप में कार्य करेगी और पांच लाख रुपये तक के समस्त निर्माण कार्य तथा ग्राम पंचायत, ग्राम सभा द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यो का निष्पादन करेगी।
- ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।
- ग्राम विकास समिति का गठन तथा उसके कृत्य ऐसे होंगे जैसे कि विहित किए जाएं।
- ग्राम निर्माण समिति के सदस्य, ग्राम विकास समिति में ऐसी रीति में सम्मिलित किए जाएंगे जैसी कि विहित की जाए।
- ग्राम सभा को रुपये पांच लाख तक की लागत के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार व ग्राम पंचायत द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य संपादित करने का प्रावधान किया गया।
- ग्राम सभा की स्थायी समिति के गठन तथा निर्वाचन से संबंधित

समस्त विवाद धारा 122 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों द्वारा निपटाए जाने का प्रावधान किया गया।

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 में दिसम्बर 1997 में संशोधन किया जाकर अनुसूचित क्षेत्र के लिये विशेष उपबन्ध अध्याय स्थापित कर निम्नवत संशोधन किया गया-

- ग्राम सभा के सदस्य, यदि ऐसा चाहे तो किसी ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का गठन ऐसी रीति जैसा कि विहित किया जाए और ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा के क्षेत्र में आवास या आवास का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबन्ध करेगी।
- ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मिलन के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-दशमांश से या ग्राम सभा के कुल पांच सौ सदस्य इनमें से जो भी कम हो, से अन्यून सदस्यों से गणपूर्ति होगी।
- ''ग्राम सभा'' के सम्मिलन की अध्यक्षता, ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो पंचायत का सरपंच या उपसरपंच या कोई सदस्य न हो और जो उस सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किया गया हो।
- व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करना।
- ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों को, जिनके अन्तर्गत भूमि, जल तथा वन आते हैं

उसकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबन्धों के अनुरूप और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक ध्यान रखते हुए प्रबन्ध करना,

- ग्राम के बाजारों तथा मेलों को, जिनमें पशुमेला सम्मिलित है चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबन्ध करना।
- स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं सम्मिलित हैं तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना, और, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त करे।

ग्राम सभा को उनके दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की कठिनाई न आवे, इस बात को ध्यान रखते हुए ग्राम सभा के लिये निम्न नियम बनाये गये-

1. मध्यप्रदेश ग्राम सभा (समितियों के सम्मिलन, कामकाज के संचालन की प्रक्रिया तथा संबद्ध विषय) नियम 2005 (नियम निरसित कर) नए नियम बनाए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2. मध्यप्रदेश ग्राम सभा (अपील) नियम 2001
3. मध्यप्रदेश ग्राम सभा (निर्धन व्यक्तियों को उधार की मंजूरी) नियम 2001
4. मध्यप्रदेश ग्राम सभा (बजट अनुमान) नियम 2001
5. मध्यप्रदेश ग्राम सभा (ग्राम कोष का संधारण) नियम 2001
6. मध्यप्रदेश ग्राम सभा वैकल्पिक कर तथा फीस (शर्तें तथा अपवाद) नियम 2001
7. मध्यप्रदेश ग्राम सभा अनिवार्य कर (शर्तें तथा अपवाद) नियम 2001
8. मध्यप्रदेश ग्राम सभा (संपरीक्षा) नियम 2001

प्रदेश में ग्रामसभा के सशक्तिकरण की दिशा में समय-समय पर आवश्यक उपाय किए गए। इन किए गये उपायों को अन्तिम उपाय नहीं माना जा सकता। ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रख कर यदि भविष्य में और भी संशोधन संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर आवश्यक समझे गये तो वर्तमान व्यवस्था में फेरबदल किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

● **जी.पी. अग्रवाल**
रिसोर्स पर्सन वाल्मी

सेटेलाईट कम्युनिकेशन के माध्यम से पंचायतराज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी)
कलियासोत बांध, कोलार रोड, भोपाल
फोन : (0755)-082502, 2492672, फैक्स : (0755) 2492432
ई-मेल : mpwalmi@gmail.com

क्रमांक-वाल्मी/डब्ल्यू-11/पी.आर.आई./2019/827-829 **भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2019**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
समस्त जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय - सेटेलाईट कम्युनिकेशन के माध्यम से पंचायतराज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

पंचायतराज व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायकों को सेटेलाईट कम्युनिकेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना है। इस हेतु म.प्र. आर.सी.व्ही.पी. प्रशासन एवं प्रबंधकीय संस्थान, भोपाल के स्टूडियो से सीधे विकासखण्ड मुख्यालय स्थित शिक्षा विभाग के शाला भवन जहाँ वर्चुअल क्लासेस की व्यवस्था है उन सेन्टरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक खण्ड मुख्यालय पर निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे :-

(1) पंचायत प्रकोष्ठ अधिकारी,
(2) जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक लेखाधिकारी,
(3) जनपद के लेखापाल,
(4) खण्ड पंचायत अधिकारी,
(5) पंचायत समन्वयक,
(6) ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोज़गार सहायक

प्रशिक्षण की तिथि एवं समय -

दिनांक 24 अप्रैल, 2019 (बुधवार) प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ होगा।

प्रशिक्षण में विभागीय अधिकारियों द्वारा निम्न विषयों पर जानकारी दी जावेगी -

(1) अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी समन्वय
(2) अधिकारियों का क्षमतावर्धन
(3) कार्यालय प्रबंधन
(4) योजनाओं में प्राप्त राशि का प्रबंधन एवं सुचारु क्रियान्वयन, अभिलेखों का संधारण, पंचायतों द्वारा करारोपण

इस प्रशिक्षण की व्यवस्था, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की देखरेख में होगी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की उपस्थिति एक पृथक पंजी में लेना होगी।

प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले प्रतिभागियों को चाय, भोजन आदि उपलब्ध कराना होगा। इस हेतु प्रति प्रतिभागी रु. 130/- के मान से राशि व्यय की जा सकेगी। प्रशिक्षण में हुए व्यय का ब्यौरा जिला पंचायत को तत्काल जनपद पंचायत से प्राप्त कर वाल्मी संस्थान को भेजना होगा ताकि संस्थान द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति कर राशि जिला पंचायत को उपलब्ध कराई जा सके।

संचालक
वाल्मी, भोपाल

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (RGSA) अंतर्गत पंचायत कार्यपालिक अमले का वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षण

पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/पंरा/प्रशिक्षण/2019/4419 **भोपाल, दिनांक 02.04.2019**

प्रति,

1. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला ई-गवर्नेंस अधिकारी,
   मध्यप्रदेश

विषय : राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (RGSA) अंतर्गत पंचायत कार्यपालिक अमले का वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षण।

संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) के पत्र क्रमांक/डब्ल्यू-11/पीआरआई/2019/827, दिनांक 27.03.2019 एवं क्रमांक 828, 829 दिनांक 28 मार्च, 2019 में सेटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से पंचायत राज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे, में कतिपय परिवर्तन किया गया है।

2. इस संबंध में दिनांक 30 मार्च, 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मैनेजर ई-गवर्नेंस सोसायटी को विस्तार से निर्देश दिये गये हैं। उन्हीं निर्देशों के अनुक्रम में विस्तृत दिशा-निर्देश परिशिष्ट - अ पर संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

कृपया संलग्न दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(उर्मिला शुक्ला)
आई.ए.एस.
संचालक, पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.

पृ. क्रमांक/पंरा/प्रशिक्षण/2019/4420 **भोपाल, दिनांक 02.04.2019**

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
2. संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल।
3. संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) भोपाल।
4. संचालक, राज्य सूचना केन्द्र, सी-विंग बेसमेंट, विंध्याचल भवन, भोपाल।
5. कलेक्टर समस्त, मध्यप्रदेश।
6. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
7. निज सहायक, संचालक, पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल।

संचालक
पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.

परिशिष्ट- 'अ'

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (RGSA) अंतर्गत पंचायत कार्यपालिक अमले का वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिनांक 10 अप्रैल, 2019 से 25 अप्रैल, 2019 तक (कार्य दिवसों में) आयोजन के संबंध में -

(1) प्रशिक्षण दिनांक - 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 23, 24 एवं 25 को माह अप्रैल, 2019 में कार्य दिवसों में आयोजित किये जावेंगे।

(2) प्रशिक्षण प्रत्येक जनपद/ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित उत्कृष्ट स्कूल (Excellent School) में संचालित ''वर्चुअल कक्षाओं'' में किया जावेगा।

(3) प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जनपद से 2 पंचायत समन्वय अधिकारी की क्लस्टर की पंचायतों को लिया जावेगा, जिनमें संभावित ग्राम पंचायत की संख्या न्यूनतम 15 तथा अधिकतम 20 होगी।

(4) कौन सी ग्राम पंचायत किस दिवस में आएगी, उसका विस्तृत कार्यक्रम पंचायत राज संचालनालय को दिनांक 05 अप्रैल, 2019 तक ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in पर अनिवार्यतः प्रेषित किया जावे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नानुसार प्रतिभागी होंगे -

ग्राम पंचायत स्तर

I. ग्राम पंचायत सचिव

ii. ग्राम रोजगार सहायक

जनपद पंचायत स्तर

i. लेखापाल

ii. सहायक लेखाधिकारी

iii. खंड पंचायत अधिकारी (BPO) और यदि पद रिक्त हो तो प्रभारी पंचायत समन्वय अधिकारी (PCO)

iv. क्लस्टर प्रभारी (पंचायत समन्वय अधिकारी)

v. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

जिला पंचायत स्तर

i. अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ii. जिला पंचायत के पंचायत प्रकोष्ठ अधिकारी

ii. डेटा एनालिस्ट Mgr. NREGS

(5) प्रत्येक जनपद स्तर पर वर्चुअल उत्कृष्ट विद्यालय के कस्टोडियन टीचर तथा वर्चुअल कक्षा के रख-रखाव प्रभारी तथा चतुर्थ श्रेणी का एक भृत्य संस्था से संबंधित समन्वय एवं व्यवस्थाएं किये जाने हेतु उपस्थित रहेंगे। इनका कार्य होगा पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था, वर्चुअल कक्षा चालू होने की सुनिश्चितता करना। यदि कक्षा चालू होने में कोई कठिनाई है तो उसका सुधार करवाना, प्रशिक्षण दिवस में जहाँ आवश्यक पेयजल, साफ-सफाई, विद्युत निरन्तरता एवं विद्युत के वैकल्पिक संसाधन की व्यवस्था करना। नेट कनेक्टीविटी सुचारू रहे, न होने की स्थिति में वैकल्पिक संसाधन की व्यवस्था करना। इसके लिये शाला विकास निधि को प्रशिक्षण आयोजित करने वाली संस्था ''वाल्मी'' के द्वारा 500/- रुपये, कस्टोडियन टीचर को 250/- रुपये तथा चतुर्थ श्रेणी भृत्य को 150/- रुपये का मानदेय प्रदान किया जावेगा। इस हेतु शाला विकास निधि, कस्टोडियन टीचर एवं भृत्य का नाम, बैंक का नाम, खाता क्रमांक एवं आईएफएससी कोड वाल्मी के ई-मेल mpwalmi@gmail.com पर दिनांक 05 अप्रैल, 2019 तक भेजना सुनिश्चित किया जाए।

(6) प्रत्येक जनपद स्तर पर सहायक प्रबंधक ई-गवर्नेंस समन्वय एवं व्यवस्थाएं किये जाने हेतु उपस्थित रहेंगे। इनके द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जावेगा :-

i. वर्चुअल कक्षा चालू होने की सुनिश्चितता करना। यदि कक्षा चालू होने में कोई कठिनाई है तो उसका सुधार करवाना, नेट कनेक्टीविटी सुचारू रहे, न होने की स्थिति में वैकल्पिक संसाधन की व्यवस्था करना।

ii. प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागियों का पंजीयन, निर्धारित गूगल शीट पर प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के पूर्व कराया जाएगा तथा प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व फीडबैक कार्य भी गूगलशीट पर लिया जावेगा तथा उसे वाल्मी के ई-मेल mpwalmi@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित किया जाए।

iii. इस हेतु सहायक प्रबंधक ई-गवर्नेंस को 250/- रुपये का मानदेय दिया जावेगा। गूगलशीट, पंजीयन कार्य, प्रश्नोत्तरी परीक्षा तथा फीडबैक कार्य, प्राप्तांक विवरण इत्यादि सभी प्रतिभागियों को उपलब्ध कराने हेतु अन्य स्टेशनरी व्यवस्था हेतु 150/- राशि दी जावेगी। विलम्ब या लापरवाही की जाती है तो दोनों मदों का मानदेय नहीं दिया जावेगा। मानदेय हेतु वाल्मी के ई-मेल mpwalmi@gmail.com पर मांग पत्र भेजना होगा।

(7) अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे उनके जिलों के अंतर्गत प्रशिक्षण में

भाग लेने वाली ग्राम पंचायतों की प्रति दिवस प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी निम्नानुसार फार्मेट में वाल्मी के ई-मेल mpwalmi@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे :-

फार्मेट

क्र.	दिनांक	भाग लेने वाली ग्राम पंचायत का नाम	भाग लेने वाले ग्राम पंचायत सचिव का नाम एवं मो.नं.	भाग लेने वाले ग्राम रोजगार सहायक का नाम/मो.नं.	ज.पं. का नाम

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा प्रशिक्षण दिवसों में यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि सभी उल्लेखित ग्राम पंचायतों के प्रतिभागी प्रशिक्षण दिवसों में उपस्थित रहें तथा प्रशिक्षण प्राप्त करें। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं एवं जिसमें प्रशिक्षण का फीडबैक देंगे।

(8) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भी प्रशिक्षण दिवसों में प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद स्तर के सभी उल्लेखित प्रतिभागी नियत प्रशिक्षण दिवसों में उपस्थित रहें और प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा प्रत्येक दिवस एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं एवं जिसमें प्रशिक्षण का फीडबैक देंगे।

(9) यह प्रशिक्षण विषय आधारित है, जिसके प्रथम चरण में इन प्रशिक्षकों का विषय ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत में कार्यालय एवं लेखा संधारण तथा प्रबंधन होगा। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण स्थल पर अपरान्ह 1.30 बजे रिपोर्ट करना होगा तथा 2.00 बजे से 5.00 बजे तक प्रशिक्षण चलेगा। प्रशिक्षण विषय के ट्रेनर्स की सूची वाल्मी के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। ट्रेनर्स अपने-अपने विषय के प्रेजेन्टेशन, स्क्रिप्ट पेपर तैयार कर मुझे अवलोकन करायेंगे तथा तदनुसार प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण अवधि के 3 घंटे में प्रत्येक सत्र 40 मिनट का होगा तथा प्रत्येक सत्र के बाद 3 मिनिट तथा प्रत्येक 2 सत्र के बाद 15 मिनिट के अंतराल में वाल्मी द्वारा अंतराल अवधि के लिये उपयोगी फिल्म स्क्रिप्ट, प्रेजेन्टेशन, प्रस्तुति इत्यादि माध्यम से विषय के लिये तैयार करवाये जाकर दिखाये जायेंगे। विषय से संबंधित प्रदेश भर में यदि इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध होगी तो उसका भी उपयोग वाल्मी द्वारा किया जावेगा।

(10) इस प्रशिक्षण में पंजीयन फार्म के साथ ही एक प्रश्नोत्तरी भी प्रदाय की जावेगी, जिसके उत्तर प्रशिक्षण उपरांत सभी प्रतिभागियों को देना अनिवार्य होगा। इस प्रश्नोत्तरी का मूल्यांकन उसी समय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कराया जावेगा तथा फीड बैक फॉर्म के साथ प्रतिभागी को प्राप्त अंकों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

इस प्रकार सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक द्वारा तीन फॉर्म अपलोड किये जावेंगे :-

1. पंजीयन फॉर्म
2. फीडबैक फॉर्म
3. परीक्षा मूल्यांकन प्राप्तांक स्थिति

(11) प्रशिक्षण हेतु NIC द्वारा सेटकॉम के सहयोग से सम्पूर्ण प्रदेश के 313 विकासखंडों में एक साथ संचालित होने वाली इस ऐतिहासिक ''वर्चुअल कक्षा'' से प्रशिक्षण हेतु स्टूडियो/वीडियो कान्फ्रेंस की जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियाँ की जायेंगी। इस हेतु आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी एवं वाल्मी द्वारा सभी समस्त उल्लेखित गतिविधियों का समन्वय किया जावेगा तथा अंतिम प्रतिवेदन से पंचायत राज संचालनालय को ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in पर दिनांक 10 अप्रैल, 2019 से 25 अप्रैल, 2019 तक प्रतिदिन होने वाले प्रशिक्षण दिवस के संबंध में अवगत कराया जावेगा। पंचायत राज संचालनालय में संचालक श्रीमती उर्मिला शुक्ला, मो.नं. 9425005037, श्री इंदर सिंह ठाकुर, संयुक्त संचालक, मो.नं. 9425876163 एवं श्री प्रफुल्ल जोशी, सहायक परियोजना अधिकारी, मो.नं. 8989977301 नोडल अधिकारी रहेंगे। वाल्मी से डॉ. रविन्द्र ठाकुर 9893339295 तथा श्री जी.पी. अग्रवाल मो.नं. 9424419395, प्रशासन अकादमी से संचालक श्री कवीन्द्र कियावत, मो.नं. 9425600332, श्री प्रमोद चतुर्वेदी मो.नं. 9425661272 होंगे। NIC से श्री मयंक नागर मो.नं. 9893364863, शिक्षा विभाग से श्रीमती जयश्री कियावत, आयुक्त लोक शिक्षण मो.नं. 9425014681 एवं श्री शितांशु शुक्ला मो.नं. 9826077042 तथा मेप आईटी से श्री दीपक वर्मा मो.नं. 9303912005 एवं श्री अम्बाडकर महाप्रबंधक मो.नं. 9425373056 रहेंगे। यदि और कोई सुझाव हो तो अवगत करावें।

दिनांक 08 अप्रैल, 2019 को इस कार्यक्रम का ट्रायल प्रशिक्षण रखा जाएगा। जिसमें किन्हें उपस्थित होना है, पृथक से सूचित किया जावेगा।

(उर्मिला शुक्ला)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.

अमरजीत सिन्हा
AMARJEET SINHA

सत्यमेव जयते

सचिव
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
SECRETARY
Government of India
Ministry of Rural Development
Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Tel.: 91-11-23382230, 23384467
Fax : 011-23382408
E-mail : secyrd@nic.in

अ.शा. # सचिव (ग्रामीण विकास)/विभिन्न/2018-जीएसए **22 मई, 2018**

विषय : ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत स्वयं सहायता समूह का अभिसरण।

प्रिय मुख्य सचिव,

यह पत्र गरीब परिवारों (समुदायों) के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों की प्रभावी आवश्यकता आधारित आयोजना और कार्यान्वयन के लिए समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित सदस्यों को संघटित करने के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है। जबकि पंचायती राज संस्थाओं का स्थानीय सरकार ढांचा भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य है। आवास/गांव में महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ अभिसरण और सभी स्तरों पर पूरी तरह क्रियाशील और परिचालित है और इससे ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों के सामुदायिक स्वामित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

2. यही कारण है कि पंचायतों में शासन सुधार के लिए नए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना में पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के अभिसरण के लिए ढांचे को जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 4 फरवरी, 2016 को जारी किया गया था को पूरी तरह से अपनाएगा। इसकी एक प्रति संलग्न है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के बीच साझेदारी पर दिशा-निर्देशों की एक प्रति साथ ही डीएवाई-एनआरएलएम में पीआरआई-सीबीओ अभिसरण पर प्रस्तुति की भी एक प्रति संलग्न है।

3. आपसे अनुरोध है कि आप भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यक्रमों की योजनाओं और कार्यान्वयन में इस अभिसरण को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए सभी संबंधित विभागों के सचिवों के साथ एक बैठक आयोजित करें। यह पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक प्रणाली के संवैधानिकता के भीतर सार्वजनिक कार्यक्रमों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सामुदायिक स्वामित्व को आगे बढ़ाएगा। सभी राज्यों का अनुभव संकेत देता है कि कम्युनिटी संगठनों के साथ ऐसी साझेदारी को भी यदि सबसे गरीब परिवारों से जुड़ने के लिए उपयोग की जाती है तो स्थानीय सरकारों की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण रूप से सुधार आता है।

4. हम ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण आयोजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं, महिला स्वयं सहायता समूह के अभिसरण के लिए आपके सक्रिय सहयोग की उम्मीद करते हैं।

सादर।

संलग्नक : यथोपरि।

आपका

(अमरजीत सिन्हा)

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को

संख्या के-11022/31/2015-सीबी
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2016

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभाग
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय : ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण आयोजना हेतु पंचायत-एसएचजी का अभिसरण पर परामर्शिका के संबंध में।

महोदय/महोदया,

देश भर की ग्राम पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान के उपयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने हेतु ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने की भी आवश्यकता होती है। इस योजना में गरीबी के कारणों, हाशिए पर के लोगों की कमजोरियों और आजीविका के अवसरों को एक समेकित गरीबी उन्मूलन योजना जिसका अभिसरण एमजीएनआरईजीएस के तहत श्रम बजटन और प्रक्षेपण अभ्यास के साथ हो, के माध्यम से हल किए जाने वाले घटक शामिल किए जाएं। गरीबों के संस्थानों के रूप में एसएचजी और उनके संघ के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए हस्तक्षेप की योजना बनाने और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। एनआरएलएम ढांचे में सूचीबद्ध एसएचजी नेटवर्क की जिम्मेदारियों में ग्राम सभा और पंचायतों के अन्य मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेना, समुदाय आधारित निगरानी के माध्यम से प्रतिक्रिया प्रदान करना और ग्राम पंचायतों को उनके विकास पहल और योजना अभ्यास में सहायता करना शामिल है। एनआरएलएम ढांचा एनआरएलएम के संदर्भ में पंचायतों की भूमिका को चित्रित करता है, जिसमें बीपीएल परिवारों को एसएचजी में पहचान और संगठित करना, सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों के लिए प्राथमिकता तय करना, विभिन्न स्तरों पर एसएचजी संघों की सुविधा प्रदान करना और उनके प्रभावी कामकाज के लिए आवास और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं/गतिविधियों में एसएचजी और उनके संघों की प्राथमिक मांगों के लिए उपयुक्त वित्तीय आवंटन को शामिल करना और नेटवर्क की ओर से विभिन्न विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय करना शामिल है।

2. ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण आयोजना में एसएचजी और उनके संघों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के आलोक में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), भारत सरकार ने संयुक्त रूप से सहभागितापूर्ण आयोजना के लिए पंचायत-एसएचजी अभिसरण पर 11, 12 और 13 दिसंबर, 2015 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के उद्देश्यों में (i) गरीबों के संस्थानों के लिए पंचायत क्या कर सकती हैं और एसएचजी संघ कैसे पंचायतों के विकास और कल्याणकारी पहलों का समर्थन कर सकते हैं, पर स्पष्टता विकसित करना; (ii) पीआरआई-सीबीओ अभिसरण को संस्थागत बनाने की आवश्यकता और रणनीतियों पर प्रमुख हितधारकों के बीच आम सहमति बनाना; (iii) एसएचजी सामूहिक रूप से पीआरआई अभिसरण के लिए विशेष रूप से एमजीएनआरईजीएस, स्वच्छ भारत और एनआरएलएम के साथ जीपीडीपी के एकीकरण के संदर्भ में पीआरआई अभिसरण के लिए राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण योजनाएं विकसित करना; और (iv) एनआरएलएम के पंचायतों और एसएचजी सामूहिक सामग्रियों के बीच निरंतर संबंध बनाने के लिए राज्य विशिष्ट रोड मैप विकसित करना शामिल था।

3. कार्यशाला के दौरान विचार-विमर्श और सर्वसम्मति के आधार पर निम्नलिखित कार्य बिंदु उभर कर सामने आए। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करें :

3.1 एसएचजी संघों के कार्यालय के लिए जीपी कार्यालय के परिसर में एक अतिरिक्त स्थान प्रदान किया जा सकता है। इससे न केवल एसएचजी और उनके संघों की दक्षता में वृद्धि होगी बल्कि पंचायतों के साथ उनकी संवाद की गुणवत्ता में सुधार होगा। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त स्थान मनरेगा का उपयोग करके बनाया जा सकता है।

3.2 ग्राम पंचायतों को अपने आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक भूमि, तालाबों, बाजार स्थानों आदि जैसे सामान्य संसाधनों तक पहुंच बनाने में एसएचजी को प्राथमिकता देना आवश्यक किया जा सकता है। यह न केवल बेहतर लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करेगा बल्कि ग्राम पंचायतों के अपने राजस्व स्रोत को भी बढ़ाएगा।

3.3 कई स्थानीय सेवाओं के वितरण में एसएचजी की भागीदारी मूल्यवर्द्धन कर सकती है। एसएचजी मध्यान्ह भोजन (मिड डे मील), घरों से कर संग्रह, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पाइप से पीने के पानी की आपूर्ति एवं इसका संचालन, ई-सेवाओं आदि के रख-रखाव जैसी सेवाओं के वितरण में शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों की ओर से पहचाने गए क्षेत्रों में सेवा वितरण के एसएचजी के लागत मानदंडों को अधिसूचित कर सकती हैं। इस तरह के लागत मानदंड अवसर लागत को ध्यान में रख कर बनाए जाने चाहिए जो टिकाउ और आकर्षक होने चाहिए।

3.4 राज्य एसएचजी की स्वायत्तता को सुनिश्चित कर सकते हैं, जबकि आम संसाधनों तक पहुंचने और उन्हें सेवाओं के वितरण में प्राथमिकता के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है।

3.5 जीपीडीपी में एकीकरण

3.5.1 एनआरएलएम के तहत, एसएचजी को सभी सदस्य परिवारों को कवर करने वाली माइक्रो क्रेडिट योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। कुछ राज्यों में एसएचजी को गरीबों की भागीदारीपूर्ण पहचान या पात्रता के सहभागितापूर्ण मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। जहां भी उपलब्ध हो, इन रिपोर्टों और योजनाओं को ग्राम पंचायत द्वारा तैयार ग्राम पंचायत विकास रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है।

3.5.2 जीपीडीपी की सहभागितापूर्ण प्रक्रियाओं में एसएचजी की भूमिका को या पूरक दिशा-निर्देशों में जारी की जा सकती है, जो ग्रामसभा प्रक्रियाओं तथा एसएचजी/एसएचजी फेडरेशन को शामिल करने को सार्वजनिक रूप से दस्तावेजीकरण की चर्चा की सुविधा प्रदान करने को शामिल करेगा। जिन राज्यों में इस पर विचार किया गया है, वहां इन भूमिकाओं को औपचारिक रूप से विजन तैयार करने/आयोजना ग्राम सभा और महिला सभा की सुविधा के लिए उन्हें औपचारिक रूप से भूमिका सौंप कर इसे संस्थागत बनाया जा सकता है।

3.5.3 ग्राम पंचायत-एसएचजी इंटरफेस के लिए एक संस्थागत रूपरेखा विकसित और परिचालित की जा सकती है। ऐसा तमिलनाडु गांव गरीबी न्यूनीकरण समितियों (वीपीआरसी) या केरल की सीडीएस मूल्यांकन समितियों जैसे अभिसरण प्लेटफार्मों को स्थापित करके, निश्चित तारीखों पर संयुक्त बैठकें आयोजित करके किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों की कार्यशील समितियों में प्रतिनिधित्व का प्रावधान, जीपीडीपी के लिए कार्यबल/कार्यकारी समूहों में और गांव स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी), स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी), अस्पताल समिति इत्यादि जैसी विभागीय समितियों में जीपीडीपी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में संस्थागत बनाया जा सकता है। इन समितियों की बैठकों और कार्रवाई की गई रिपोर्टों के रिकॉर्ड एसएचजी/संघों के साथ साझा किए जा सकते हैं।

3.5.4 ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संस्थानों और सेवाओं के कामकाज की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। ग्राम पंचायतों की योजनाओं और परियोजनाओं की समुदाय आधारित निगरानी में एसएचजी/संघों को शामिल करने पर परिचालन निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इस तरह की निगरानी में प्रक्रियाओं के साथ-साथ परिणामों की निगरानी शामिल हो सकती है, और ग्राम पंचायत की कम लागत निगरानी परियोजनाओं का कारक हो सकता है।

3.5.5 पीआईआर-एसएचजी अभिसरण हेतु राज्य के लिए लागू होने वाले पीआरआई पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री को तैयार और प्रसारित करने और प्रशिक्षण की अभिसारित हुई लेनदेन को राज्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

3.5.6 जीपीडीपी के तहत एसएचजी के साथ अभिसरण के लिए राज्य बीकन ग्राम पंचायत की प्रकृति और पहचान कर सकता है। ये बीकन ग्राम पंचायत पूर्व शिक्षा केंद्रों के रूप में सेवा कर सकती हैं जहां निर्वाचित प्रतिनिधि और कर्मी, अन्य ग्राम पंचायतों के संघों तथा एसएचजी के प्रतिनिधि एक्सपोजर दौरे में आ सकते हैं।

3.6 निगरानी

● राज्य सरकार ग्राम पंचायत-एसएचजी अभिसरण के लिए ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र विकसित कर सकती है। राज्य ग्राम पंचायत-एसएचजी फेडरेशन अभिसरण के लिए संकेतक विकसित कर सकता है।

● संकेतकों की एक सूचक सूची अनुबंध के रूप में दी गई है - राज्य इन संदर्भों के अनुसार इन संकेतकों में संशोधन कर सकते हैं और उन्हें अपना सकते हैं।

3.7 पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र

● पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में, जहां ग्राम सभा को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, वहां एसएचजी पीईएसए अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को साकार करने में शामिल हो सकते हैं। राज्य ग्राम सभा प्रधान/एसएचजी के अध्यक्ष और वीओ/सीएलएफ से नियमित संपर्क/संवाद का भी प्रावधान कर सकता है।

3.8 राज्य स्तरीय संचालन समिति

● जीपीडीपी और एफएफसी के लिए राज्य संचालन समिति को ग्राम पंचायत-स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अभिसरण के समन्वय की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है।

4. आपसे ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण आयोजना में पंचायत और एसएचजी और उनके संघों के अभिसरण के मामले में आपके राज्य के संदर्भ में उपरोक्त के अनुसार उपयुक्त और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

धन्यवाद सहित,

भवदीय,

(सी. चिनप्पा), निदेशक
9650655366 (मोबा.), e-mail: c.chinnappa@nic.in